अध्याय-V

# सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

*इस अध्याय में 2008-09 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों और 2007-08 के दौरान ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों (इन संस्थाओं के आंकड़ों की विलंबित उपलब्धता को देखते हुए) के वित्तीय निष्पादन का रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के संदर्भ में, जैसाकि अध्याय III में चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। वर्ष के दौरान, वित्तीय रूप से सुदृढ़ संस्थाओं में वृद्धि और कमजोर संस्थाओं के निर्गमन से शहरी सहकारी क्षेत्र के समेकन में निरंतर प्रगति हुई है। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाभ में पिछले वर्ष के दौरान से वृद्धि हुई है और ऋण तथा जमाओं में उच्च वृद्धि हुई है जैसीकि उसके ग्रामीण सहभागियों में नहीं हुई है। इसके अलावा, वैश्विक संकट के फलस्वरूप कमी की प्रत्याशा के विपरीत वर्ष के दौरान यूसीबी के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के भाग के रूप में लघु उद्यमों के प्रति ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियां दोनों भौगोलिक रूप से केन्द्रित बनी रही हैं जिनकी पश्चिमी क्षेत्र में बहुत अधिक मौजूदगी है। शहरी सहकारी समितियों के मामले में, कुछ बड़ी संस्थाओं में बैंकिंग कारोबार के केन्द्रीकरण में वृद्धि हो रही है। लेकिन, यूसीबी और ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों का उच्च स्तर चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है और इस प्रकार सहकारी क्षेत्र, जैसा कि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए), 2009 ने पाया, 'भारतीय वित्तीय लैंडस्केप में एक कमजोर कड़ी' है।*

## 1. परिचय

5.1 सहकारी समितियों को भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सहकारी समितियां ऐसी पहली औपचारिक संस्थाएं थीं जिनको ग्रामीण भारत में ऋण के प्रसार के लिए विचारित और विकसित किया गया। इस प्रकार, सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज तक पहुंचने में वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख साधन रही हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों के शहरी सहभागी, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भी अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न आय वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण चैनल रहे हैं।

5.2 वित्तीय समावेशन में सहकारी संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और सुदृढ़ता चिंता के कुछ प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। आशा है कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने से वित्तीय समावेशन के उनके प्रयासों को और बल मिलेगा।

5.3 जबकि हाल में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की आर्थिक सुदृढ़ता में सुधार हुआ है, यूसीबी के एनपीए का उच्च स्तर इन संस्थाओं की वित्तीय मजबूती के लिए एक खतरा बना हुआ है। अल्प और दीर्घकालिक दोनों स्वरूप की ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं भी अनेक संरचनात्मक कमजोरियों जैसे कमजोर संसाधन आधार और संचित हानियों के उच्च स्तर से घिरी हुई हैं। इसके अलावा, ग्रामीण शहरी सहकारी समितियां दोनों पारंपरिक रूप से रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बहुविधि नियंत्रण में रही हैं जिसमें इन दोनों सस्थाओं के बीच क्षेत्राधिकार के सही बंटवारे की कुछ अस्पष्टताएं हैं। सीएफएसए (2009) ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में दोहरे नियंत्रण को ''एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण विनियामक और पर्यवेक्षी कमजोरी'' के रूप में चित्रित किया है।

5.4 दोहरे नियंत्रण के मामले से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ और एकीकृत विनियामक ढांचा विकसित करने हेतु कई कदम उठाएं हैं। इन कदमों में 2005 में रिज़र्व बैंक द्वारा एक विजन दस्तावेज तैयार करना शामिल है जिसमें यूसीबी पर दोहरे विनियामक नियंत्रण से निपटने और इन राज्यों में यूसीबी के लिए एक कार्यदल की स्थापना करने के लिए रिज़र्व बैंक के साथ राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने हेतु एक राज्य-विशिष्ट रणनीति की

सिफारिश की गई है, जैसाकि रिपोर्ट के अध्याय III में पहले ही कहा गया है। इसी प्रकार, 2004 में भारत सरकार द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर बनाए गये कार्यदल ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एमओयू करने की सिफारिश की थी, जिसके पश्चात ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पैकेज का कार्यान्वयन किया जाएगा।

5.5 इस अध्याय में, शहरी और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के परिचालन और निष्पादन की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय को छह खंड़ों में बांटा गया है। खंड 2 में भारत की सहकारी ऋण संस्थाओं के वर्तमान ढांचे की चर्चा की गयी है। खंड 3 में 2008-09 के दौरान यूसीबी के कारोबार परिचालन और निष्पादन की चर्चा की गयी है, जबकि खंड 4 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के निष्पादन की चर्चा की गयी है। खंड 5 में 2008-09 के दौरान ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के विकास में नाबार्ड द्वारा किये गये उपायों की चर्चा की गयी है इसके पश्चात खंड 6 में निष्कर्ष दिया गया है।

## 2. भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

5.6 भारत के सहकारी ऋण संरचना की एक अलग विशेषता उसकी विजातीयता है। यह संरचना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तथा राज्यों और ऋणों की अवधि में अलग-अलग है (चार्ट V.1)। शहरी क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) कार्य करते हैं, जिन्हें आगे अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी में उप-विभाजित किया गया है। अनुसूचित यूसीबी शहरी सहकारी बैंक की कुल संख्या के एक छोटे अनुपात में हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी दोनों का परिचालन या तो एक राज्य (एकल राज्य) अथवा राज्यों (बहु-राज्य) के बीच सीमित है। अधिकांश गैर-अनुसूचित यूसीबी मुख्य रूप से एकल राज्य यूसीबी होते हैं जिनकी एकल टियर संरचना होती है[1]।

**चार्ट V.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना**

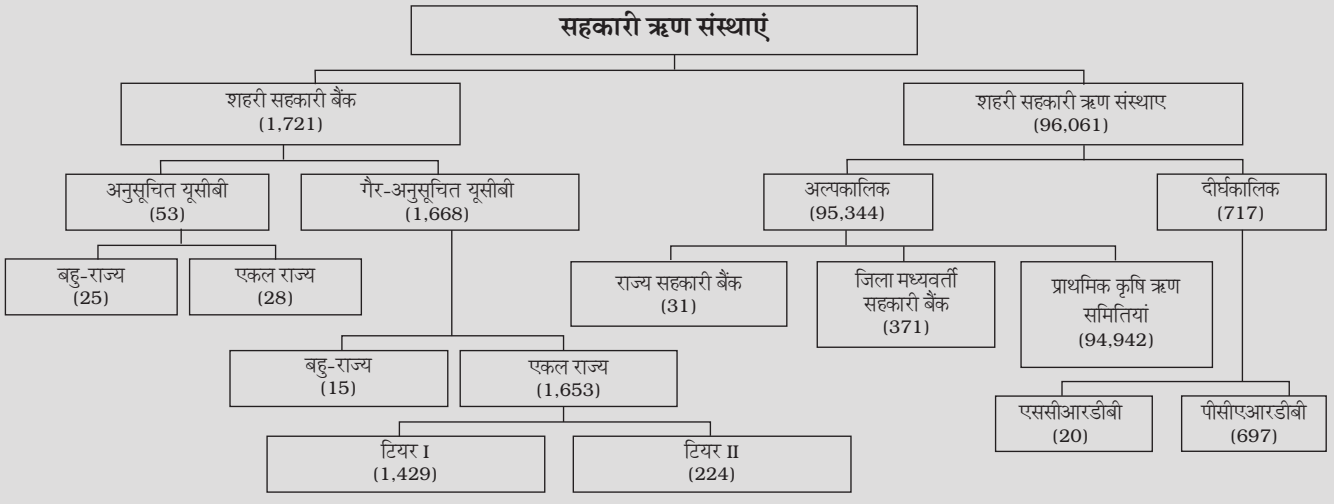


एससीएआरडीबीः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
पीएससीएआरडीबीः प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

**टिप्पणी:** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े यूसीबी के लिए मार्च 2009 के अंत और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए मार्च 2008 के अंत में संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए बैंकों की संख्या से तात्पर्य रिपोर्टिंग बैंकों से है।

[1] टियर 1 यूसीबी में शामिल हैं i) 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं एकल जिले में स्थित हैं; ii) 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं एक से अधिक जिलों में स्थित हैं, बशर्ते कि ये शाखाएं निकटवर्ती जिले में हों और एक जिले की शाखाओं की जमाराशियां और अग्रिम बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियों और अग्रिमों की कम-से-कम 95 प्रतिशत हों; और iii) 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं मूल रूप से किसी एकल जिले में थीं लेकिन तदुपरांत जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जिलीय हो गई हों।

5.7 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संरचना को अल्पकालिक और दीर्घकालिक संरचना में बांटा गया है। अल्पकालिक सहकारी संरचना को तीन टियर संरचना में बांटा गया है जबकि शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं इसके पश्चात मध्यवर्ती जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और इसके बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इस संरचना को प्रायः अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के संघीय ढ़ाचे के रूप में उल्लेख किया जाता है। एकात्मक ढांचे को मुख्य रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया गया है, जहां पर राज्य सहकारी बैंक किसी जिला स्तरीय मध्यवर्ती के स्थान पर पीएसीएस को सीधे ऋण प्रदान करते हैं।

5.8 दीघकालिक संरचना के शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) है इसके पश्चात जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) हैं। इनको प्रायः दीर्घकालिक सहकारी ऋण समितियों के संघीय ढांचे के रूप में उल्लेख किया जाता है। एक एकात्मक ढांचा भी है जिसके अंतर्गत एससीएआरडीबी अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण प्रवाहित करते हैं। अंत में, कुछ राज्यों में एक मिश्रित ढांचा भी है जिसके अंतर्गत एकात्मक और संघीय दोनों ढांचे कार्य करते हैं। उन राज्यों में जहां पर दीर्घकालिक ढांचा नहीं है, राज्य सहकारी बैंकों का अलग अनुभाग ग्रामीण क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को देखता है। 2008 में, असम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में एक अलग दीर्घकालिक ढांचा था। 2008 में, 10 राज्यों के पास संघीय ढांचा था जबकि दो राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के पास दीर्घकालिक सहकारी ऋण का एक मिश्रित ढांचा था। इसके अलावा, आठ राज्यों के पास दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं का एकात्मक ढांचा था।

## 3. शहरी सहकारी बैंक

### यूसीबी का स्वरूप

*यूसीबी का श्रेणीवार वितरण*

5.9 यूसीबी को उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर चार वर्गों में बांटा गया है। यह वित्तीय निष्पादन पूंजी पर्याप्तता, एनपीए के स्तर और लाभ / हानि के इतिवृत्त सहित विभिन्न मानदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि श्रेणी I और श्रेणी II के यूसीबी को सापेक्षिक रूप से मजबूत बैंक माना जाता है, श्रेणी III और श्रेणी IV से संबंधित बैंकों को रुग्ण अथवा कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.10 यूसीबी की संख्या मार्च 2008 के अंत के 1,770 से घटकर मार्च 2009 के अंत में 1,721 हो गई। यह गिरावट इस क्षेत्र में समेकन प्रक्रिया का परिणाम है जैसा कि श्रेणी III और श्रेणी IV से संबंधित रुग्ण अथवा कमजोर बैंकों की संख्या में गिरावट से स्पष्ट है (बॉक्स V.1 के साथ पढ़ी जाने वाली सारणी V.1)। दूसरी तरफ, श्रेणी I में यूसीबी की संख्या वर्षों के दौरान बढ़ी। इस वृद्धि के कारण श्रेणी I और II से संबंधित यूसीबी, जो वित्तीय रूप से अधिक सुदृढ़ थे, का प्रतिशत हिस्सा मार्च 2009 के अंत में और बढ़कर 77.2 प्रतिशत हो गया।

**सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का श्रेणीवार वितरण**

| मार्च के अंत में | यूसीबी की संख्या | श्रेणी I | श्रेणी II | श्रेणी III | श्रेणी IV | श्रेणी I+II | श्रेणी III+IV | श्रेणी I+II (कुल के प्रतिशत के रूप में) | श्रेणी III+IV (कुल के प्रतिशत के रूप में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2008 | 1,770 | 748 | 526 | 258 | 238 | 1,274 | 496 | 71.9 | 28.0 |
| 2009 अ | 1,721 | 845 | 484 | 219 | 173 | 1,329 | 392 | 77.2 | 22.8 |

अ : अनंतिम.

## बॉक्स V.1: शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र पर सहमति ज्ञापन और टैफकब का प्रभाव :कमजोर बैंकों का बहिर्गमन

वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज़न दस्तावेज तैयार किया गया और उसे मार्च 2005 में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। इस दस्तावेज पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक मध्यावधि रूपरेखा (एमटीएफ) तैयार की गई। विज़न दस्तावेज़ और मध्यावधि रूपरेखा ने शहरी बैंकिंग क्षेत्र के दो मुख्य विनियामक प्राधिकरणों यथा रिज़र्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों (बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए केन्द्र सरकार) के बीच विनियामक समन्वय परिकल्पित किया। यह समन्वय प्रत्येक राज्य में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके प्राप्त किया जाना था ताकि वर्तमान कानूनी रूपरेखा में दोहरे नियंत्रण की समस्याओं को दूर किया जा सके।

20 जुलाई 2009 को 26 राज्यों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बहु राज्य शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ में सहमति ज्ञापन किया गया है। इस प्रकार शहरी सहकारी बैंकों के 99 प्रतिशत से अधिक बैंकों को सहमति ज्ञापन में शामिल कर लिया गया है जिनके पास इस क्षेत्र की कुल जमाओं तथा अग्रिमों का 99.2 प्रतिशत हिस्सा है। सहमति ज्ञापन के अनुसार रिज़र्व बैंक सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यदल (टैफकब) का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तदनुसार, टैफकब का गठन उन सभी राज्यों में किया गया है जिनके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक केन्द्रीय टैफकब का गठन बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी किया गया है। टैफकब राज्यों में संभावित रूप से सक्षम तथा गैर सक्षम शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करता है और सक्षम बैंकों के लिए पुनरुज्जीवन मार्ग तथा गैर सक्षम बैंकों को बाधारहित तरीके से बहिर्गमन के मार्ग का सुझाव देता है। गैर सक्षम बैंकों का बहिर्गमन बेहतर स्थिति वाले बैंकों के साथ विलय / समामेलन के माध्यम से अथवा अंतिम विकल्प के रूप में परिसमापन करके किया जा सकता है। टैफकब की सिफारिशों के आधार पर पर्यवेक्षी कार्रवाई में शामिल हैं: बहिर्गमन होने वाले बैंकों का विलय अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ करना, गैर सक्षम यूसबी के लाइसेंस निरस्त करना तथा लाइसेंस रहित यूसीबी के लाइसेंस आवेदनों को अस्वीकार करना।

यूसीबी क्षेत्र पर सहमति ज्ञापन और टैफकब का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसा श्रेणी III और श्रेणी IV दोनों को मिलाकर यूसीबी की संख्या में हुई कमी से स्पष्ट है, मार्च 2005 के अंत में कमजोर अथवा रुग्ण बैंकों की संख्या 725 से घटकर मार्च 2009 के अंत में 392 हो गई। विशेष रूप से 2004 के बाद श्रेणी III में यूसीबी की संख्या में निरंतर कमी आई है। हालांकि मार्च 2005 और 2006 के अंत में श्रेणी IV में शहरी सहकारी बैंकों में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद यह संख्या कम हुई है - यह मार्च 2006 के अंत में 270 से कम हो कर मार्च 2009 के अंत में 173 हो गई (सारणी 1)।

**सारणी 1: यूसीबी क्षेत्र का परिवर्तनशील स्वरूप**

| वर्ष (मार्च के अंत में) | यूसीबी की संख्या | श्रेणी में बैंकों की संख्या | | | | श्रेणी III और श्रेणी IV में बैंकों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2004 | 1,919* | 880 | 307 | 529 | 203 | 38 |
| 2005 | 1,872 | 807 | 340 | 497 | 228 | 39 |
| 2006 | 1,853 | 716 | 460 | 407 | 270 | 37 |
| 2007 | 1,813 | 652 | 598 | 295 | 268 | 31 |
| 2008 | 1,770 | 748 | 526 | 258 | 238 | 28 |
| 2009 | 1,721 | 845 | 484 | 219 | 173 | 23 |

* 1,926 यूसीबी में से।

5.11 और महत्वपूर्ण बात है कि कुल जमाओं में श्रेणी I के यूसीबी के प्रतिशत का हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 53.3 प्रतिशत से काफी अधिक बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 65.2 प्रतिशत हो गया। श्रेणी I के यूसीबी के अग्रिमों के प्रतिशत के हिस्से में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी जा सकती है। श्रेणी I के यूसीबी की जमाराशिओं और अग्रिमों में वृद्धि का अर्थ हुआ कि यूबीसी के शेष सभी वर्गों से यूसीबी के हिस्से में गिरावट हुई। विभिन्न श्रेणियों के यूसीबी की जमाराशियों और अग्रिमों की बदलती संरचना का अर्थ हुआ कि सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन वाले यूसीबी में बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण बढ़ रहा था (सारणी V.2)।

**सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों तथा अग्रिमों का श्रेणीवार वितरण**
(मार्च 2009 के अंत में))

(राशि करोड़ रुपए में)

| श्रेणी | बैंकों की संख्या | कुल के प्रतिशत के रूप में बैंकों की संख्या | जमाराशियां | कुल के प्रतिशत के रूप में जमाराशिया | अग्रिम राशि | कुल के प्रतिशत के रूप में अग्रिम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 845 | 49.1 | 1,03,432 | 65.2 | 62,842 | 64.2 |
| II | 484 | 28.1 | 30,956 | 19.5 | 19,251 | 19.7 |
| III | 219 | 12.7 | 8,040 | 5.1 | 5,498 | 5.6 |
| IV | 173 | 10.1 | 16,304 | 10.3 | 10,326 | 10.5 |
| **कुल** | **1,721** | **100.0** | **1,58,733** | **100.0** | **97,918** | **100.0** |

**टिप्पणी :** 2009 के आंकड़े अनंतिम हैं।

*कारोबार और आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण*

5.12 इस खंड में विश्लेषण के लिए, यूसीबी को उनके कारोबार (जमाराशियों और अग्रिमों) तथा आस्ति के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उनकी जमाओं के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण काफी अधिक जटिल है क्योंकि कुछ यूसीबी के पास यूसीबी क्षेत्र के कुल जमा आधार का काफी बड़ा प्रतिशत है। मार्च 2009 के अंत में, यूसीबी की कुल संख्या के 1.2 प्रतिशत के पास 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का जमा आधार था और कुल मिलाकर इन यूसीबी के पास संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र की कुल जमाओं का 33.6 प्रतिशत था (सारणी V.3)। यूसीबी की जमाओं का वितरण हाल के वर्षों में काफी अधिक जटिल हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च 2008 के अंत में, यूसीबी के केवल 0.9 प्रतिशत का जमा आधार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक था और इन यूसीबी के पास यूसीबी क्षेत्र की कुल जमाओं का लगभग 28.8 प्रतिशत था।

5.13 यूसीबी के अग्रिमों के लिए वितरण का स्वरूप जमाओं के समान था (सारणी V.4)। मार्च 2009 के अंत में, कुल यूसीबी के लगभग एक प्रतिशत से कम के पास कुल अग्रिमों का एक चौथाई था। चूँकि अग्रिम इन बैंकों की कुल जमाओं के लगभग आधे थे, अग्रिमों के वितरण का स्वरूप आस्तियों के तुलनीय था (सारणी V.5)। स्पष्ट है कि चूंकि यूसीबी क्षेत्र के समेकन में प्रगति हो रही है, अतः कुछ यूसीबी के पक्ष में बैंकिंग कारोबार में संकेद्रण बढ़ रहा है।

**सारणी V.3: जमाराशियों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण**
(मार्च 2009 के अंत में)

| जमाराशि आधार (करोड़ रुपए) | यूसीबी की संख्या | | जमाराशि | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | कुल में प्रतिशत अंश | राशि (करोड़ रुपए) | कुल में प्रतिशत अंश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ज ≥ 1000 | 20 | 1.2 | 53,281 | 33.6 |
| 500 ≤ ज < 1000 | 27 | 1.6 | 18,749 | 11.8 |
| 250 ≤ ज < 500 | 56 | 3.3 | 20,754 | 13.1 |
| 100 ≤ ज < 250 | 189 | 11.0 | 28,526 | 18.0 |
| 50 ≤ ज < 100 | 196 | 11.4 | 15,069 | 9.5 |
| 25 ≤ ज < 50 | 317 | 18.4 | 11,757 | 7.4 |
| 10 ≤ ज < 25 | 452 | 26.3 | 7,621 | 4.8 |
| ज < 10 | 464 | 27.0 | 2,975 | 1.9 |
| **कुल** | **1,721** | **100.0** | **1,58,733** | **100.0** |

ज : जमाराशि आधार ।
**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं ।

**सारणी V.4: अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण**
(मार्च 2009 के अंत में)

| अग्रिमों का आकार (करोड़ रुपए) | यूसीबी की संख्या | | अग्रिम | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | कुल में प्रतिशत अंश | राशि | कुल में प्रतिशत अंश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अ ≥ 1000 | 11 | 0.6 | 25,033 | 25.6 |
| 500 ≤ अ < 1000 | 16 | 0.9 | 11,093 | 11.3 |
| 250 ≤ अ < 500 | 37 | 2.1 | 12,668 | 12.9 |
| 100 ≤ अ < 250 | 116 | 6.7 | 17,721 | 18.1 |
| 50 ≤ अ < 100 | 154 | 8.9 | 11,634 | 11.9 |
| 25 ≤ अ < 50 | 236 | 13.7 | 8,658 | 8.8 |
| 10 ≤ अ < 25 | 441 | 25.6 | 7,279 | 7.4 |
| अ < 10 | 710 | 41.3 | 3,831 | 3.9 |
| **कुल** | **1,721** | **100.0** | **97,918** | **100.0** |

अ : अग्रिम का आकार
**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

**सारणी V.5: आस्तियों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण**
(मार्च 2009 के अंत में)

| आस्ति आकार (करोड़ रुपए) | यूसीबी की संख्या | | आस्तियां | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | कुल में प्रतिशत अंश | राशि (करोड़ रुपए) | कुल में प्रतिशत अंश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आ ≥ 2000 | 16 | 0.9 | 62,339 | 31.7 |
| 1000 ≤ आ < 2000 | 10 | 0.6 | 12,378 | 6.3 |
| 500 ≤ आ < 1000 | 39 | 2.3 | 26,422 | 13.5 |
| 250 ≤ आ < 500 | 73 | 4.2 | 24,365 | 12.4 |
| 100 ≤ आ< 250 | 226 | 13.1 | 33,554 | 17.1 |
| 50 ≤ आ < 100 | 244 | 14.2 | 16,204 | 8.3 |
| 25 ≤ आ < 50 | 336 | 19.5 | 11,567 | 5.9 |
| 15 ≤ आ < 25 | 285 | 16.6 | 5,130 | 2.6 |
| आ < 15 | 492 | 28.6 | 4,436 | 2.3 |
| **कुल** | **1,721** | **100.0** | **1,96,395** | **100.0** |

आ : आस्ति आकार
**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

**सारणी V.6: शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप**
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में)

| वर्ग | यूसीबी की सं. | जमाराशियां | ऋण और अग्रिम | आस्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **सभी यूसीबी*** | **1,721** | **1,58,733 (100.0)** | **97,918 (100.0)** | **1,96,395 (100.0)** |
| अनुसूचित यूसीबी | 53 | 67,929 (42.8) | 42,234 (43.1) | 85,895 (43.7) |
| गैर अनुसूचित यूसीबी | 1,668 | 90,804 (57.2) | 55,684 (56.9) | 1,10,500 (56.3) |

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

*अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक के रूप में यूसीबी का वितरण*

5.14 गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या अनुसूचित यूसीबी से अधिक है। मार्च 2009 के अंत में, अनुसूचित यूसीबी की संख्या 53 पर अपरिवर्तित रही, जबकि पिछले वर्ष गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या 1,717 से घटकर 1,668 हो गयी। दूसरे शब्दों में, श्रेणी III/IV के सभी यूसीबी जिन्होंने 2008 और 2009 के बीच अपने कारोबार को बंद कर दिया था, गैर-अनुसूचित बैंक थे।

5.15 मार्च 2009 के अंत में, गैर-अनुसूचित बैंकों के पास सापेक्षिक रूप से कुल जमाओं और अग्रिमों में काफी बड़ा हिस्सा था (सारणी V.6) तथापि, हाल के वर्षों में, कुल जमाओं और अग्रिमों में गैर-अनुसूचित बैंकों के हिस्से में गिरावट आई है। यूसीबी के पास मार्च 2008 के अंत के 41.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कुल जमाओं का 42.8 प्रतिशत था। इसके अलावा, कुल अग्रिमों में अनुसूचित यूसीबी का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में 40.0 प्रतिशत था जो मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 43.1 प्रतिशत हो गया।

*यूसीबी का टियरवार वितरण*

5.16 विनियामक प्रयोजनों के लिए यूसीबी को दो टियरों अर्थात टियर I और टियर II में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2009 के अंत में, टियर I यूसीबी की संख्या टियर II यूसीबी की संख्या से काफी अधिक थी। कुल जमाओं और अग्रिमों में टियर I यूसीबी का हिस्सा 24 प्रतिशत से कम था, शेष हिस्सा टियर II यूसीबी का था (सारणी V.7)।

*यूसीबी के तुलनपत्र का परिचालन*

5.17 2008-09 के दौरान यूसीबी की कुल आस्तियों की वृद्धि दर में कमी आई।यूसीबी की कुल आस्तियों की वृद्धि 2007-08 के 11.1 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 9.5 प्रतिशत हो गई (सारणी V.8)। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम, जो यूसीबी की कुल आस्तियों के लगभग आधे से अधिक थे, ने 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2008-09 के दौरान आस्ति पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कारक यूसीबी का निवेश था जो 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा। देयता पक्ष में, विस्तार की प्रमुख स्रोत जमाराशियां थीं जो वर्ष के दौरान 13.5 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और जो पिछले वर्ष के 15.2 प्रतिशत की वृद्धि से 1.7 प्रतिशत अंक कम थीं। 2006-07 के दौरान दर्ज की गयी 6.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में पिछले दो वर्षों की जमाओं में

**सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों का टियर वार वितरण**
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

| टियर | यूसीबी की संख्या | | जमाराशियां | | अग्रिम | | आस्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | कुल में प्रतिशत अंश | राशि | कुल में प्रतिशत अंश | राशि | कुल में प्रतिशत अंश | राशि | कुल में प्रतिशत अंश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| टियर I यूसीबी | 1,429 | 83.0 | 37,937 | 23.9 | 22,913 | 23.4 | 47,528 | 24.2 |
| टियर II यूसीबी | 292 | 17.0 | 1,20,796 | 76.1 | 75,005 | 76.6 | 1,48,867 | 75.8 |
| **सभी यूसीबी** | **1,721** | **100.0** | **1,58,733** | **100.0** | **97,918** | **100.0** | **1,96,395** | **100.0** |

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

**सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रु. में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घटबढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 अ | 2007-08 | 2008-09 अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 4,769 (2.7) | 5,261 (2.7) | 20.2 | 10.3 |
| 2. आरक्षित निधियां | 15,339 (8.5) | 15,591 (7.9) | 7.7 | 1.6 |
| 3. जमाराशियां | 1,39,871 (78.0) | 1,58,733 (80.8) | 15.2 | 13.5 |
| 4. उधार | 2,680 (1.5) | 2,554 (1.3) | 0.9 | -4.7 |
| 5. अन्य देयताएं | 16,752 (9.3) | 14,256 (7.3) | -12.7 | -14.9 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. उपलब्ध नकदी | 1,935 (1.1) | 1,907 (1.0) | 19.3 | -1.4 |
| 2. बैंकों के पास शेष | 17,555 (9.8) | 18,193 (9.3) | 97.1 | 3.6 |
| 3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा | 1,895 (1.1) | 2,112 (1.1) | 0.6 | 11.5 |
| 4. निवेश | 56,912 (31.7) | 64,171 (32.7) | 11.9 | 12.8 |
| 5. ऋण और अग्रिम | 90,444 (50.4) | 97,918 (49.9) | 13.4 | 8.3 |
| 6. अन्य आस्तियां | 10,671 (5.9) | 12,095 (6.2) | -42.2 | 13.3 |
| **कुल देयताएं /आस्तियां** | **1,79,412 (100.0)** | **1,96,395 (100.0)** | **11.1** | **9.5** |

अ: अनंतिम।
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।

निरंतर दो अंक की वृद्धि इस क्षेत्र में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है (चार्ट V.2)।

**चार्ट V.2: शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां, ऋण और निवेश**

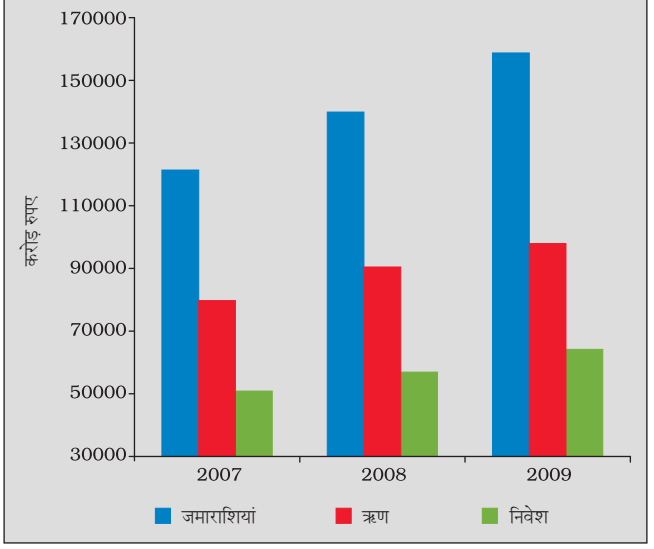


5.18 यूसीबी ने निधियों के स्रोत के रूप में जमाओं पर बहुत अधिक भरोसा किया जो 2009 में उनकी कुल देयताओं के 80.8 प्रतिशत थीं। दूसरी तरफ, उधार उनकी देयताओं के केवल 1.3 प्रतिशत थे। उधारों की तुलना में जमाओं पर इस निर्भरता ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के परिचालनों के बीच काफी बड़ा अंतर दिखलाया है।

5.19 ग्रामीण सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की ही तरह, एसएलआर निवेश यूसीबी के लिए निवेश के सर्वाधिक पसंदीदा प्रकार थे। एलएलआर निवेशों में यूसीबी के कुल निवेशों का सबसे बड़ा हिस्सा था जिसका हिस्सा मार्च 2009 के अंत में 91.4 प्रतिशत था (सारणी V.9)। जैसाकि अध्याय III में कहा गया कि यूसीबी को संबंधित जिलों के डीसीसीबी और संबंधित जिलों के राज्य सहकारी बैंकों के साथ उनके द्वारा रखी गई मीयादी जमाराशियों को एसएलआर निवेशों के रूप में मानने की अनुमति दी गयी। 2008-09 के दौरान, राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी की संयुक्त मीयादी जमाराशियां केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के पश्चात यूसीबी के एसएलआर निवेश की सबसे महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार की जमाराशियां थीं।

**सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों का निवेश**

(राशि करोड़ रु. में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ |
|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 अ | 2008-09 अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **कुल निवेश (क + ख)** | **56,912 (100.0)** | **64,171 (100.0)** | **12.8** |
| **क. एसएलआर निवेश (i से vi)** | **52,302 (91.9)** | **58,677 (91.4)** | **12.2** |
| i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां | 33,408 (58.7) | 36,205 (56.4) | 8.4 |
| ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 4,330 (7.6) | 4,564 (7.1) | 5.4 |
| iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 1,040 (1.8) | 819 (1.3) | -21.3 |
| iv) राज्य सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियां | 4,081 (7.2) | 5,406 (8.4) | 32.5 |
| v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियां | 8,163 (14.3) | 9,258 (14.4) | 13.4 |
| vi) अन्य | 1,280 (2.2) | 2,425 (3.8) | 89.5 |
| **ख. गैर एसएलआर निवेश** (सरकारी क्षेत्र संस्थाओं /अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांडों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और यूटीआइ की यूनिटों में) | **4,610 (8.1)** | **5,494 (8.6)** | **19.2** |

अ:अनंतिम
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

*अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी का तुलनपत्र परिचालन*

5.20 गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में वर्ष 2008-09 अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्र के आकार में काफी अधिक विस्तार का वर्ष था (सारणी V.10 और V.11)[2]। गैर अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्र के आकार में गिरावट आस्ति और देयता पक्ष के दो महत्वपूर्ण घटकों अर्थात अग्रिम और जमाराशियों के कारण आई। 2008-09 के दौरान गैर अनुसूचित यूसीबी की जमा वृद्धि में गिरावट के बावजूद, इन बैंकों की कुल देयताओं में जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई। गैर अनुसूचित यूसीबी के लिए कुल देयताओं में वृद्धि और जमाओं के हिस्से में बढ़ोतरी हुई। उधार अनुसूचित और गैर अनुसूचित यूसीबी दोनों के लिए सापेक्षिक रूप से निधियों के छोटे स्रोत थे।

**सारणी V.10: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009अ | 2007-08 | 2008-09अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 1,322 (1.8) | 1,510 (1.8) | 32.9 | 14.2 |
| 2. आरक्षित निधियां | 6,759 (9.0) | 6,900 (8.0) | -2.0 | 2.1 |
| 3. जमाराशियां | 58,871 (78.5) | 67,929 (79.1) | 15.0 | 15.4 |
| 4. उधार | 1,476 (2.0) | 1,833 (2.1) | 9.7 | 24.2 |
| 5. अन्य देयताएं | 6,600 (8.8) | 7,724 (9.0) | -43.5 | 17.0 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. उपलब्ध नकदी | 546 (0.7) | 508 (0.6) | 28.8 | -7.0 |
| 2. बैंकों के पास शेष | 7,584 (10.1) | 7,774 (9.1) | 67.0 | 2.5 |
| 3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा | 1,009 (1.3) | 1,425 (1.7) | -8.0 | 41.2 |
| 4. निवेश | 25,776 (34.4) | 29,210 (34.0) | 12.7 | 13.3 |
| 5. ऋण और अग्रिम | 36,147 (48.2) | 42,234 (49.2) | 10.2 | 16.8 |
| 6. अन्य आस्तियां | 3,966 (5.3) | 4,744 (5.5) | -61.6 | 19.6 |
| **कुल देयताएं/आस्तियां** | **75,028 (100.0)** | **85,895 (100.0)** | **4.1** | **14.5** |

अःअनंतिम।

**टिप्पणी** :कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

**सारणी V.11: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009अ | 2007-08 | 2008-09अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 3,447 (3.3) | 3,752 (3.4) | 15.9 | 8.8 |
| 2. आरक्षित निधियां | 8,580 (8.2) | 8,691 (7.9) | 16.9 | 1.3 |
| 3. जमाराशियां | 81,000 (77.6) | 90,804 (82.2) | 15.4 | 12.1 |
| 4. उधार | 1,204 (1.2) | 722 (0.7) | -8.2 | -40.0 |
| 5. अन्य देयताएं | 10,152 (9.7) | 6,532 (5.9) | 35.0 | -35.7 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. उपलब्ध नकदी | 1,388 (1.3) | 1,398 (1.3) | 15.9 | 0.7 |
| 2. बैंक के पास शेष | 9,971 (9.6) | 10,419 (9.4) | 128.5 | 4.5 |
| 3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा | 885 (0.8) | 687 (0.6) | 12.5 | -22.4 |
| 4. निवेश | 31,136 (29.8) | 34,961 (31.6) | 11.3 | 12.3 |
| 5. ऋण और अग्रिम | 54,297 (52.0) | 55,684 (50.4) | 15.7 | 2.6 |
| 6. अन्य आस्तियां | 6,705 (6.4) | 7351 (6.7) | -17.3 | 9.6 |
| **कुल देयताएं / आस्तियां** | **1,04,383 (100.0)** | **1,10,500 (100.0)** | **16.8** | **5.9** |

अ : अनंतिम।

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

5.21 अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्र में ऋण और अग्रिमों का हिस्सा गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में सापेक्षिक रूप से कम था। 2008-09 के दौरान अनुसूचित यूसीबी के ऋण और अग्रिमों की वृद्धि की वार्षिक दर गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में काफी अधिक देखी गयी।

[2] अनुसूचित यूसीबी के वित्तीय निष्पादन के बारे में बैंक-वार ब्यौरे परिशिष्ट सारणी V.1 और V.2 में दिये गये हैं।

**सारणी V.12: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवेश की संरचना**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | अनुसूचित यूसीबी | | गैर-अनुसूचित यूसीबी | | सभी यूसीबी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007-08 | 2008-09अ | 2007-08 | 2008-09अ | 2007-08 | 2008-09अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| एसएलआर निवेश | 22,986<br>(89.2) | 26,067<br>(89.2) | 29,315<br>(94.2) | 32,610<br>(93.3) | 52,302<br>(91.9) | 58,677<br>(91.4) |
| गैर-एसएलआर निवेश | 2,790<br>(10.8) | 3,143<br>(10.8) | 1,821<br>(5.8) | 2,351<br>(6.7) | 4,610<br>(8.1) | 5,494<br>(8.6) |
| **कुल निवेश** | **25,776**<br>**(100.0)** | **29,210**<br>**(100.0)** | **31,136**<br>**(100.0)** | **34,961**<br>**(100.0)** | **56,912**<br>**(100.0)** | **64,171**<br>**(100.0)** |

अ:अनंतिम।

**टिप्पणी:** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।

5.22 एसएलआर निवेशों की महत्ता अनुसूचित और गैर अनुसूचित यूसीबी दोनों के निवेश के स्वरूप में देखी जा सकती है (सारणी V.12)। अनुसूचित यूसीबी के मामले में, 2008-09 के दौरान एसएलआर निवेशों में गैर अनुसूचित यूसीबी की तुलना में वृद्धि की दर अधिक रही। फिर भी, वर्ष के दौरान गैर अनुसूचित यूसीबी के कुल निवेशों में एसएलआर निवेशों के हिस्से में कमी आई जबकि अनुसूचित यूसीबी का हिस्सा अपरिवर्तित रहा।

*यूसीबी का वित्तीय निष्पादन*

5.23 2008-09 के दौरान, यूसीबी के परिचालन लाभ की वृद्धि में कमी आई। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि के कारण निवल लाभों में कमी सापेक्षिक रूप से तीव्र नहीं हुई। यह उल्लेखनीय है कि यूसीबी के निवल लाभों में पिछले दो वर्षों के दौरान लगातार धनात्मक वृद्धि हुई। लाभप्रदता के मामले में, 2007-08 के दौरान (तुलनीय वर्ष जिसके आंकड़े ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध है) यूसीबी ने ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया (सारणी V.26 और V.29 के साथ पठित सारणी V.13)।

*अनुसूचित और गैर अनुसूचित यूसीबी का वित्तीय निष्पादन*

5.24 वर्ष के दौरान गैर अनुसूचित यूसीबी की निवल ब्याज आय काफी अधिक बढ़ी। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान निवल लाभ में 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, वर्ष के दौरान अनुसूचित यूसीबी की लाभप्रदता में अल्प कमी दिखी (सारणी V.14 और V.15)।

**सारणी V.13: सभी शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007-08 | 2008-09अ | 2007-08 | 2008-09अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल आय (i+ii)** | **15,385**<br>**(100.0)** | **18,952**<br>**(100.0)** | **25.3** | **23.2** |
| i. ब्याज आय | 13,833<br>(89.9) | 17,027<br>(89.8) | 23.3 | 23.1 |
| ii. ब्याजेतर आय | 1,552<br>(10.1) | 1,925<br>(10.2) | 45.7 | 24.0 |
| **ख. कुल व्यय (i+ii)** | **12,400**<br>**(100.0)** | **15,402**<br>**(100.0)** | **26.6** | **24.2** |
| i. ब्याज व्यय | 8,966<br>(72.3) | 10,992<br>(71.4) | 33.9 | 22.6 |
| ii. ब्याजेतर व्यय | 3,434<br>(27.7) | 4,411<br>(28.6) | 10.8 | 28.5 |
| *जिसमें से:* वेतन बिल | 1,836 | 2,445 | 59.8 | 33.2 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i. परिचालन लाभ राशि | 2,985 | 3,549 | 20.2 | 18.9 |
| ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर | 1,464 | 1,803 | 11.8 | 23.2 |
| iii. निवल लाभ राशि | 1,520 | 1,746 | 29.6 | 14.9 |

अ : अनंतिम।

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

*सुदृढ़ता संकेतक*

*आस्ति गुणवत्ता*

5.25 वैश्विक संकट के कारण आर्थिक गतिविधि में मंदी और ऋण चूकों की अधिक प्रत्याशाओं के बावजूद, 2008-09 में यूसीबी क्षेत्र के (सकल) एनपीए अनुपात में गिरावट आई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान (सकल) एनपीए राशि में गिरावट आई (सारणी V.16)। यह भी उल्लेखनीय है कि 2005 और 2009 के बीच यूसीबी के एनपीए अनुपात में गिरावट आई जो इस क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाती है (चार्ट V.3)[3]।

5.26 यद्यपि यूसीबी के एनपीए अनुपात में गिरावट रही है, यह अनुपात अभी भी राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी

**सारणी V.14: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007-08 | 2008-09अ | 2007-08 | 2008-09अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल आय (i+ii)** | **6,420 (100.0)** | **8,205 (100.0)** | **39.7** | **27.8** |
| i. ब्याज आय | 5,605 (87.3) | 7,161 (87.3) | 38.1 | 27.8 |
| ii. ब्याजेतर आय | 815 (12.7) | 1,044 (12.7) | 52.9 | 28.1 |
| **ख. कुल व्यय (i+ii)** | **5,039 (100.0)** | **6,527 (100.0)** | **32.9** | **29.5** |
| i. ब्याज व्यय | 3,574 (70.9) | 4,713 (72.2) | 43.6 | 31.9 |
| ii. ब्याजेतर व्यय | 1,465 (29.1) | 1,814 (27.8) | 12.5 | 23.8 |
| *जिसमें से:* वेतन बिल | 773 | 903 | 96.2 | 16.8 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i. परिचालन लाभ राशि | 1,381 | 1,678 | 72.0 | 21.5 |
| ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर | 472 | 772 | 58.4 | 63.6 |
| iii. निवल लाभ राशि | 909 | 906 | 80.0 | -0.3 |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।

**सारणी V.15: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007-08 | 2008-09अ | 2007-08 | 2008-09अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल आय (i+ii)** | **8,965 (100.0)** | **10,747 (100.0)** | **16.6** | **19.9** |
| i. ब्याज आय | 8,228 (91.8) | 9,866 (91.8) | 15.0 | 19.9 |
| ii. ब्याजेतर आय | 736 (8.2) | 881 (8.2) | 38.3 | 19.7 |
| **ख. कुल व्यय (i+ii)** | **7,361 (100.0)** | **8,875 (100.0)** | **22.6** | **20.6** |
| i. ब्याज व्यय | 5,391 (73.2) | 6,279 (70.7) | 28.1 | 16.5 |
| ii. ब्याजेतर व्यय | 1,969 (26.7) | 2,596 (29.3) | 9.5 | 31.8 |
| *जिसमें से:* वेतन बिल | 1,063 | 1,542 | 40.8 | 45.1 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i. परिचालन लाभ राशि | 1,604 | 1,871 | -4.5 | 16.6 |
| ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर | 992 | 1,031 | -2.0 | 3.9 |
| iii. निवल लाभ राशि | 612 | 840 | -8.4 | 37.3 |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

अधिक है। फिर भी, यूसीबी का अनुपात उसके ग्रामीण सहभागियों अर्थात ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की तुलना में काफी कम है (सारणी V.23 के साथ पठित सारणी V.16)।

**सारणी V.16: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मार्च के अंत में | रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाले यूसीबी की संख्या | सकल अनर्जक आस्तियां | कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां | निवल अनर्जक आस्तियां | कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2007 | 1,813 | 14,541 | 18.3 | 6,235 | 8.8 |
| 2008 | 1,770 | 14,037 | 15.5 | 6,083 | 7.7 |
| 2009अ | 1,721 | 13,043 | 13.3 | 5,318 | 6.1 |

अ: अनंतिम।

[3] चार्ट V.3 में, यूसीबी के सकल और निवल एनपीए को सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में लिया गया है क्योंकि निवल अग्रिमों के आंकड़े केवल वर्ष 2007 के बाद के उपलब्ध हैं।

**चार्ट V.3: शहरी सहकारी बैंकों का सकल और निवल अनर्जक आस्ति अनुपात**

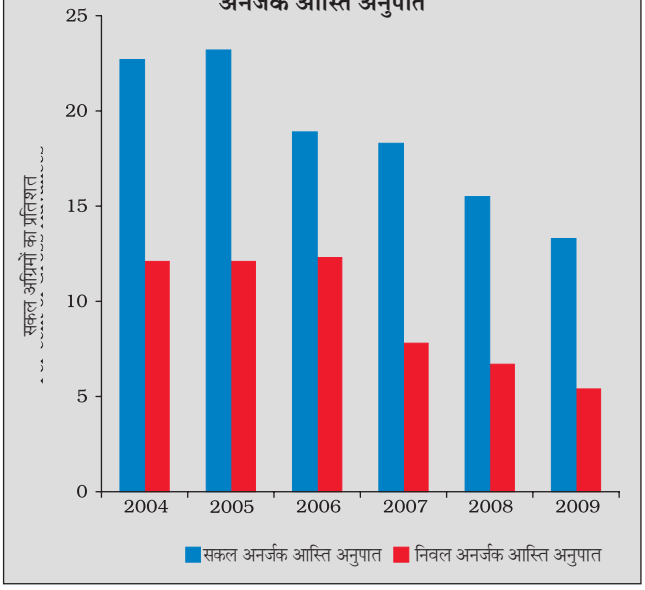


*पूंजी पर्याप्तता*

5.27 वर्तमान में, यूसीबी के लिए विनियामक न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत है। मार्च 2009 के अंत में कुल 1,721 में से 1,485 यूसीबी विनियामक न्यूनतम का अनुपालन कर रहे थे (सारणी V.17)। यूसीबी के पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ है, जैसा कि 9 प्रतिशत और अधिक सीआरएआर रखने वाले बैंकों के बढ़ते अनुपात से स्पष्ट है, मार्च 2008 के अंत में उनका अनुपात 82.3 प्रतिशत था जो मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 86.3 प्रतिशत हो गया।

**सारणी V.17: शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर-वार वितरण**

(मार्च 2009 के अंत में)

| सीआरएआर का दायरा (प्रतिशत) | सीआरएआर <3 | 3≤ सीआरएआर <6 | 6≤ सीआरएआर <9 | सीआरएआर ≥9 | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| गैर-अनुसूचित यूसीबी | 136 | 24 | 66 | 1,442 | **1,668** |
| अनुसूचित यूसीबी | 8 | 1 | 1 | 43 | **53** |
| **सभी शहरी सहकारी बैंक** | **144** | **25** | **67** | **1,485** | **1,721** |

**टिप्पणी:** आंकड़े अनंतिम हैं।

5.28 पूंजी पर्याप्तता में समग्र सुधार के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि लगभग 8 प्रतिशत गैर अनुसूचित यूसीबी और 15 प्रतिशत अनुसूचित यूसीबी का सीआरएआर 3 प्रतिशत से कम था जो किसी संभावित हानि से बचाने में इन बैंकों के लिए पूंजी की गंभीर अपर्याप्तता को व्यक्त करता है। यूसीबी के लिए सीएफएसए द्वारा किये गये दबाव परीक्षण ने भी इस क्षेत्र की अंतर्निहित अस्थिरता को बताया (बॉक्स V.2)।

**बॉक्स V.2 : सीएफएसए द्वारा यूसीबी क्षेत्र का वित्तीय मूल्यांकन**

वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन पर बनी समिति (सीएफएसए) ने भारतीय वित्तीय प्रणाली का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, सीएफएसए ने यूसीबी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया। यूसीबी क्षेत्र से संबंधित कुछ बड़ी चिन्ताओं जैसे नियत्रंण के दोहरेपन तथा अनर्जक आस्तियों के ऊँचे स्तर पर चर्चा करने के अलावा, समिति ने इस क्षेत्र पर दबाव जाँच की जिससे इस क्षेत्र की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चला।

आँकड़ों की सीमा के कारण, 52 ऐसे यूसीबी की दबाव जाँच की गई जिनके पास मार्च 2007 से अन्त तक सभी अनुसूचित यूसीबी की कुल आस्तियों का 43 प्रतिशत हिस्सा था। यह जाँच इन बैंकों के ऋण संविभाग तक ही सीमित थी। यूसीबी के ऋण संविभाग को प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि तथा अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि का आघात दिया गया।

इस जाँच से पता चला कि मार्च 2007 के अन्त में, 27 बैंक (अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों का 38 प्रतिशत हिस्सा) अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत वृद्धि के कारण 9 प्रतिशत के सीआरएआर मानदण्ड का अनुपालन नहीं कर पाये। प्रणाली स्तर पर, अनर्जक आस्तियों में 25 प्रतिशत दबाव होने से सीआरएआर 11.4 प्रतिशत से कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गया। साथ ही, अनर्जक आस्तियों के स्तर में 50 प्रतिशत वृद्धि से उन बैंकों की संख्या बढ़ कर 31 हो गई जो निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर का पालन करने में असमर्थ थे। तथापि, प्रणाली स्तर पर, सीआरएआर तेजी से कम हो कर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट नीचे).

**चार्ट : दबाव जाँच के परिणाम - ऋण जोखिम अनुसूचित यूसीबी**

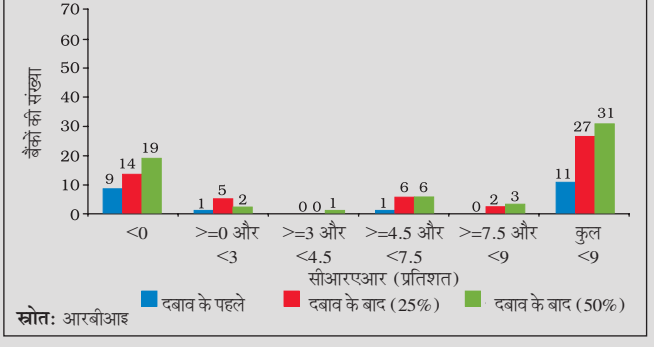


**स्रोत:** आरबीआइ

*प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम*

5.29 शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के अल्प और मध्यम आय समूहों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में इन संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के कारण 1983 में यूसीबी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों के अधीन रखा गया। वर्तमान में, यूसीबी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र (ओबीई) की राशि के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो, देना होगा। इस लक्ष्य में से कम-से-कम 25 प्रतिशत 'कमजोर वर्गों' को दिया जाना चाहिए। इन बैंकों के मुख्य रूप से शहरी फोकस को देखते हुए राज्य सहकारी बैंकों की तरह से यूसीबी के लिए कृषि हेतु कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

5.30 मार्च 2009 के अंत में, यूसीबी के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम का एक बड़ा हिस्सा (38.5 प्रतिशत) छोटे उद्यमों को दिया गया इसके तुरंत बाद आवास ऋण (25.1 प्रतिशत हिस्सा) को। इसके अलावा, छोटे उद्यमों को दिए गए यूसीबी ऋण में 2008-09 के दौरान 41.7 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि दर्ज हुई, जो वैश्विक संकट के फलस्वरूप इन उद्यमों के प्रति बैंक ऋण संबंधी कमी की चिंताओं के विपरीत थी। परिणाम के रूप में, छोटे उद्यमों को दिए गए ऋण, जिनका हिस्सा मार्च 2008 के अंत में यूसीबी के कुल अग्रिमों में 16.9 प्रतिशत था, मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 21.7 प्रतिशत हो गए (सारणी V.18)।

**सारणी V.18: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम**

(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

| क्षेत्र | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | कमजोर वर्ग | |
|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश | राशि | कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **कृषि और संबंधित कार्य-कलाप** | **4,731** | **4.8** | **1,732** | **1.8** |
| 1. प्रत्यक्ष वित्त | 1,415 | 1.4 | 537 | 0.5 |
| 2. अप्रत्यक्ष वित्त | 3,316 | 3.4 | 1,195 | 1.2 |
| **खुदरा व्यापार** | **10,235** | **10.5** | **2,958** | **3.0** |
| **छोटे उद्यम** | **21,283** | **21.7** | **3,748** | **3.8** |
| 1. प्रत्यक्ष वित्त | 15,331 | 15.7 | 2,866 | 2.9 |
| 2. अप्रत्यक्ष वित्त | 5,952 | 6.1 | 882 | 0.9 |
| **शैक्षिक ऋण** | **1,461** | **1.5** | **557** | **0.6** |
| **आवास ऋण** | **13,882** | **14.2** | **4,271** | **4.4** |
| **व्यष्टि ऋण** | **3,130** | **3.2** | **1,035** | **1.1** |
| **अजा/अजजा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन** | **526** | **0.5** | **273** | **0.3** |
| **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण** | **55,248** | **56.4** | **14,573** | **14.9** |

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

*यूसीबी का क्षेत्रीय स्वरूप*

5.31 यूसीबी का परिचालन व्यापक रूप से तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र (गोवा सहित) गुजरात और कर्नाटक में संकेद्रित हैं। देश के यूसीबी परिचालन की कुल संख्या में मार्च 2009 के अंत में इन तीन राज्यों का हिस्सा 64.8 प्रतिशत

**सारणी V.19: शहरी सहकारी बैंकों का राज्य वार वितरण**

(मार्च 2009 के अंत में)

| राज्य | शहरी सहकारी बैंकों की संख्या | शाखाओं की संख्या * | विस्तार पटलों की संख्या | एटीएमों की संख्या** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 114 | 234 | 7 | 1 |
| असम/उत्तर पूर्व | 17 | 28 | 0 | 0 |
| बिहार/झारखंड | 5 | 6 | 1 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 13 | 21 | 2 | 1 |
| गुजरात | 260 | 886 | 10 | 57 |
| जम्मू और कश्मीर | 4 | 16 | 4 | 0 |
| कर्नाटक | 273 | 828 | 9 | 16 |
| केरल | 60 | 332 | 2 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 55 | 84 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र/गोवा | 583 | 4,148 | 165 | 573 |
| नई दिल्ली | 15 | 62 | 1 | 0 |
| उड़ीसा | 13 | 50 | 4 | 4 |
| पंजाब/हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश | 16 | 40 | 3 | 1 |
| राजस्थान | 39 | 149 | 3 | 1 |
| तमिलनाडु/ पुदुचेरी | 130 | 310 | 0 | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 70 | 179 | 19 | 0 |
| उत्तराखंड | 5 | 49 | 2 | 3 |
| पश्चिम बंगाल/सिक्किम | 49 | 100 | 2 | 1 |
| **कुल** | **1,721** | **7,522** | **234** | **659** |

* : मुख्य कार्यालय के साथ शाखा भी शामिल।

** : 659 एटीमों में से 12 ऑफसाइट एटीम और शेष ऑन-साइट एटीएम थे। सभी ऑफ-साइट एटीएम महाराष्ट्र में स्थित थे।

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

**सारणी V.20: शहरी सरकारी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों का राज्य वार वितरण**
(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

| राज्य | जमाराशि | | अग्रिम | | यूसीबी वाले जिलों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल में प्रतिशत अंश | राशि | कुल में प्रतिशत अंश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 3,653 | 2.3 | 2,541 | 2.6 | 21 |
| असम | 269 | 0.2 | 155 | 0.2 | 6 |
| बिहार | 41 | 0.02 | 22 | 0.02 | 2 |
| छत्तीसगढ़ | 271 | 0.2 | 90 | 0.1 | 7 |
| गुजरात | 25,564 | 16.1 | 14,091 | 14.4 | 26 |
| हरियाणा | 274 | 0.2 | 160 | 0.2 | 7 |
| हिमाचल प्रदेश | 266 | 0.2 | 161 | 0.2 | 4 |
| जम्मू और कश्मीर | 253 | 0.2 | 153 | 0.2 | 5 |
| झारखंड | 11 | 0.006 | 7 | 0.007 | 2 |
| कर्नाटक | 10,391 | 6.5 | 7,183 | 7.3 | 26 |
| केरल | 3,849 | 2.4 | 2,493 | 2.5 | 14 |
| मध्य प्रदेश | 1,027 | 0.6 | 498 | 0.5 | 25 |
| गोवा | 1,290 | 0.8 | 751 | 0.8 | 5 |
| महाराष्ट्र | 96,249 | 60.6 | 60,634 | 61.9 | 35 |
| मणिपुर | 129 | 0.1 | 58 | 0.1 | 3 |
| मेघालय | 60 | 0.03 | 28 | 0.02 | 3 |
| मिज़ोरम | 10 | 0.006 | 4 | 0.004 | 1 |
| नई दिल्ली | 1,241 | 0.8 | 523 | 0.5 | 1 |
| उड़ीसा | 854 | 0.5 | 532 | 0.5 | 13 |
| पुदुचेरी | 101 | 0.1 | 79 | 0.1 | 1 |
| पंजाब | 552 | 0.3 | 277 | 0.3 | 2 |
| राजस्थान | 2,468 | 1.6 | 1,402 | 1.4 | 23 |
| सिक्किम | 5 | 0.003 | 4 | 0.004 | 1 |
| तमिलनाडु | 3,598 | 2.3 | 2,608 | 2.7 | 30 |
| त्रिपुरा | 10 | 0.003 | 6 | 0.006 | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 2,554 | 1.6 | 1,483 | 1.5 | 36 |
| उत्तराखंड | 1,194 | 0.8 | 668 | 0.7 | 7 |
| पश्चिम बंगाल | 2,551 | 1.6 | 1,309 | 1.3 | 11 |
| **कुल** | **1,58,733** | **100.0** | **97,918** | **100.0** | **318** |

**टिप्पणी :** 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. ऋण और जमाओं के राज्य वार आंकड़े पूर्णांकन के कारण ठीक-ठीक कुल में नहीं जोड़े गये हैं।

था (सारणी V.19)। यूसीबी के अग्रिमों और जमाराशियों का राज्य-वार वितरण और भी जटिल है जिसमें सभी यूसीबी के कुल अग्रिमों और जमाराशियों में महाराष्ट्र का हिस्सा अकेले 60 प्रतिशत है (सारणी V.20)। देश में सभी केंद्रों में, श्रेणी I और II के सुदृढ़ यूसीबी का प्रतिशत 50 प्रतिशत के अधिक था (सारणी V.21)।

## 4. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

### ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण

5.32 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण बी.आर अधिनियम 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत उसको प्रदान की गयी शक्तियों के अनुसार नाबार्ड के पास है। प्रभावी विनियमन के लिए, नाबार्ड के निरीक्षण का केन्द्र बिंदु बैंकिंग विनियामवली

**सारणी V.21: श्रेणीवार शहरी सहकारी बैंकों की केंद्र-वार संख्या**

(मार्च 2009 के अंत में )

| राज्य | ग्रेड I | ग्रेड II | ग्रेड III | ग्रेड IV | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अहमदाबाद | 116 | 100 | 16 | 28 | **260** |
| बंगलूर | 128 | 82 | 47 | 16 | **273** |
| भोपाल | 13 | 25 | 12 | 5 | **55** |
| भुबनेश्वर | 3 | 4 | 3 | 3 | **13** |
| चंडीगढ़ | 10 | 2 | 1 | 3 | **16** |
| चेन्नै | 88 | 34 | 3 | 5 | **130** |
| देहरादून | 4 | - | 1 | - | **5** |
| गुवाहाटी | 7 | 8 | 1 | 1 | **17** |
| हैदराबाद | 75 | 25 | 6 | 8 | **114** |
| जयपुर | 25 | 11 | 1 | 2 | **39** |
| जम्मू | 3 | - | 1 | - | **4** |
| कोलकाता | 27 | 11 | 1 | 10 | **49** |
| लखनऊ | 46 | 10 | 9 | 5 | **70** |
| मुम्बई | 202 | 100 | 64 | 54 | **420** |
| नागपुर | 55 | 40 | 39 | 29 | **163** |
| नई दिल्ली | 11 | 2 | 1 | 1 | **15** |
| पटना | 5 | - | - | - | **5** |
| रायपुर | 7 | 3 | 1 | 2 | **13** |
| तिरुवनंतपुरम | 20 | 27 | 12 | 1 | **60** |
| **कुल** | **845** | **484** | **219** | **173** | **1,721** |

**टिप्पणी :** आंकड़े अंनंतिम हैं।

के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करना और सहकारी संस्थाओं की वित्तीय तथा परिचालनगत सुदृढ़ता तथा प्रबंधकीय कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना रहा है।

5.33 2008-09 में, उन सभी राज्य सहकारी बैंकों/ डीसीसीबी, जिन्होंने न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया, की सांविधिक निरीक्षण की बारंबारता वार्षिक बनी रही। सभी एससीएआरडीबी की स्वैच्छिक निरीक्षण की बारंबारता वार्षिक थी। ऐसे डीसीसीबी जिनकी धनात्मक निवल हैसियत थी, का सांविधिक निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया गया। वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 273 बैंकों (30 राज्य सहकारी बैंक और 243 डीसीसीबी बैंक) का सांविधिक निरीक्षण और 17 एससीएआरडीबी का स्वैच्छिक निरीक्षण किया।

5.34 वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा किये गये निरीक्षण में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित पर्यवेक्षी चिंताएं दिखीं: (i) सांविधिक प्रावधानों का अननुपालन; (ii) एनपीए का उच्च स्तर / आस्तियों का ह्रास; (iii) ऋणों / अग्रिमों की मंजूरी, मूल्यांकन में कमियां और वितरण के पश्चात अनुवर्तन; (iv) अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली; (v) विवरणियों को प्रस्तुत करने में देरी और निरीक्षण टिप्पणियों का संतोषजनक अनुपालन; (vi) कंपनी अभिशासन की कमी और (vii) धोखाधड़ियां होना।

5.35 नाबार्ड के निदेशक मंडल की एक आंतरिक समिति के रूप में पर्यवेक्षण बोर्ड (बीओएस) का गठन नाबार्ड द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 13(3) के अंतर्गत किया गया। बोर्ड मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंकों, डीसीसीबी और आरआरबी की नीतियों के संबंध में और पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के मामलों में निर्देशन और दिशा निर्देशन देता है। बोर्ड की वर्ष के दौरान तीन बार बैठकें होती हैं। अन्य मुद्दों के बीच, इसने निम्नलिखित की समीक्षा की: (i) राज्य सहकारी बैंकों/ एससीएआइडीबी की कार्यप्रणाली; (ii) सहकारी ऋण संस्थाओं और केरल, बिहार और राजस्थान के आरआरबी की कार्यप्रणाली; (iii) दिवालिये, कमजोर डीसीसीबी और आरआरबी की कार्यप्रणाली; (iv) बैंकों के निष्पादन पर पर्यवेक्षण का प्रभाव;

(v) समामेलित आरआरबी की अनुसूची बनाना और (vi) बैंकों की रेटिंग से संबंधित पर्यवेक्षी रुझान।

5.36 नाबार्ड ने नवीनतम गतिविधियों और नीतिगत परिवेश को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों के लिए निरीक्षण दिशा निर्देशों में संशोधन किया। इन संशोधित दिशा निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित पर जोर दिया गया: (i) आस्ति देयता प्रबंधन; (ii) मानक और उचित व्यवहार संहिता; (iii) उधारदाता का वित्तीय अनुशासन और (iv) सीआरएआर मानदंड।

*सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन*

5.37 नाबार्ड की इस नीति पर जोर देने के बावजूद कि सहकारी बैंकों का प्रबंधन विधिवत चुने गए प्रबंधन बोर्ड द्वारा किये जाने की आवश्यकता है, कुछ राज्यों में वर्ष के दौरान चुने गए बोर्डों के अधिक्रमण के मामले जारी रहे। तथापि, ऐसी संस्थाओं के प्रतिशत में गिरावट आई जहां ऐसे अधिक्रमण पाए गये। 31 मार्च 2008 को उन (रिपोर्टिंग) संस्थाओं का प्रतिशत, जहां चुने गए बोर्डों का अधिक्रमण किया गया था, पिछले वर्ष के 46.4 प्रतिशत की तुलना में 41.9 प्रतिशत था (सारणी V.22)। अधिक्रमण के मामले एससीएआरडीबी तथा डीसीसीबी में सर्वाधिक प्रमुख थे।

## ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का परिचालन और वित्तीय निष्पादन

5.38 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं (जिसमें राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी, पीएसीएस, एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी शामिल हैं) के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के बाद उपलब्ध हुए हैं और इसलिए वर्तमान खंड का विश्लेषण 2007-08 से संबंधित है।

5.39 2007-08 के दौरान ऋण सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या में 2,282 की कमी हुई; इसके लिए मुख्य रूप से पीएसीएस की संख्या में गिरावट को जिम्मेदार माना गया (सारणी V.23)। इसके अलावा, 2007-08 के दौरान अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं की आस्ति गुणवता में काफी अधिक गिरावट आई। सभी ऋण सहकारी संस्थाओं के लिए बकाया ऋण की तुलना में एनपीए का समग्र अनुपात मार्च 2007 के अंत के 19.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 25.9 प्रतिशत हो गया। हानि वाली ऋण सहकारी संस्थाओं की संख्या भी मार्च 2008 के अंत में लाभ कमाने वाली संस्थाओं से काफी अधिक थी जो अतीत में सहकारी ऋण संस्थाओं की नियमित विशेषता रही है। सभी सहकारी संस्थाओं ने कुल मिलाकर वर्ष के दौरान 3,954 करोड़ रुपए की समग्र हानि उठायी।

## ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पकालिक संरचना

5.40 राज्य, जिला और प्राथमिक सहकारी ऋण संस्थाओं वाले अल्पकालिक ढांचे प्राथमिक रूप से कृषि की विभिन्न अल्पकालिक/मध्यकालिक उत्पादन और विपणन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2007-08 में कुल मिलाकर सहकारी ढांचे के कुल बकाया ऋणों में से, अल्पकालिक ऋण ढांचे का लगभग 88 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा था (सारणी V.23)। इसके अलावा, कुल मिलाकर ग्रामीण सहकारी ढांचे के माध्यम से जुटाई गयी कुल जमाराशियों में लगभग 99 प्रतिशत अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा जुटाया गया।

**सारणी V.22: अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड**

(मार्च 2008 के अंत में)

| मद | राज्य सहकारी बैंक | डीसीसीबी | एससीएआरडीबी | पीसीएआरडीबी | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (i) संस्थाओं की कुल संख्या | 31 | 371 | 20 | 697 | **1,119** |
| (ii) रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं की संख्या | 28 | 324 | 15 | 642 | **1,009** |
| (iii) उन संस्थाओं की कुल संख्या- जहाँ बोर्ड अधिक्रमण केअधीन थे। | 9 | 146 | 8 | 260 | **423** |
| **अधिक्रमण के अंतर्गत रिपोर्टिंग बोर्डों का प्रतिशत** | | | | | |
| [(iii) के प्रतिशत के रूप में (ii)] | **32.1** | **45.1** | **53.3** | **40.5** | **41.9** |

**स्रोत** : नाबार्ड।

## सारणी V.23 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का स्वरूप

(मार्च 2008 केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | अल्पकालिक | | | दीर्घकालिक | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य सहकारी बैंक | डीसीसीबी# | पीएसीएस | एससीएआरडीबी@ | पीसीएआरडीबी^ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **क. सहकारी बैंकों की संख्या** | 31 | 371 | 94,942 | 20 | 697 | **96,061** |
| **ख. तुलनपत्र संकेतक** | | | | | | |
| i) स्वाधिकृत निधि (पूंजी+आरक्षित) | 10,718 | 24,754 | 10,984 | 3,713 | 3,039 | **53,208** |
| ii) जमाराशियां | 52,973 | 1,02,986 | 25,449 | 645 | 331 | **1,82,384** |
| iii) उधार | 22,164 | 26,096 | 47,848 | 15,843 | 10,206 | **1,22,157** |
| iv) जारी ऋण और अग्रिम* | 57,455 | 93,162 | 57,643 | 2,226 | 1,773 | **2,12,259** |
| v) बकाया ऋण और अग्रिम | 48,228 | 91,374 | 65,666 | 18,217 | 9,529 | **2,33,014** |
| vi) निवेश | 29,060 | 44,419 | - | 2,526 | 752 | **76,757** |
| vii) कुल देयताएं/आस्तियां | 90,151 | 1,61,932 | 88,107 + | 24,403 | 18,209 | **3,82,802** |
| **ग. वित्तीय कार्य निष्पादन^ ^** | | | | | | |
| i) लाभ वाली संस्थाएं | | | | | | |
| क) संख्या | 23 | 234 | 38,307 | 9 | 203 | **38,776** |
| ख) लाभ की राशि | 234 | 760 | 2,230 | 151 | 170 | **3,545** |
| ii) हानि वाली संस्थाएं | | | | | | |
| क) संख्या | 5 | 88 | 48,520 | 8 | 258 | **48,879** |
| ख) हानि की राशि | -49 | -825 | -5,711 | -398 | -516 | **-7,499** |
| iii) समग्र लाभ /हानि | 185 | -65 | -3,481 | -247 | -346 | **-3,954** |
| iv) संचित हानि | -429 | -6,106 | - | -1,257 | -3,214 | **-11,006** |
| **घ. अनर्जक आस्तियां **** | | | | | | |
| i) राशि | 6,169 | 18,728 | 24,004 ++ | 6,292 | 5,114 | **60,307** |
| ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में | 12.8 | 20.5 | 36.6 ^ ^ ^ | 34.5 | 53.7 | **25.9** |
| iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत) | 84.6 | 55.6 | 64.3 | 49.0 | 44.0 | |

^ : हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के पीसीएआरडीबी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

** : बिहार, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य सहकारी बैंकों तथा बिहार और हिमाचल प्रदेश के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों और मांग की तुलना में वसूली के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।

# : आंध्र प्रदेश ,बिहार और हिमाचल प्रदेश के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाभ/हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

^ ^ : गुजरात और मध्य प्रदेश में एक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक न लाभ न हानि की स्थिति में है।

@ : बिहार, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

+ : कार्यशील पूंजी * : अप्रैल - मार्च ^ ^ ^ : बकाया ऋणों की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत ++ : कुल अतिदेय

- : उपलब्ध नहीं

**टिप्पणी :** 1. मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का काम बंद हो गया है।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

**स्रोत :** नाबार्ड और नाफ्स्कोब।

## राज्य सहकारी बैंक

5.41 कुल आस्तियों/देयताओं की वृद्धि के पिछले वर्ष के 12.1 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत की दर से घटने के कारण 2007-08 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र की वृद्धि में कमी आई (सारणी V.24)। यह कमी मुख्य रूप से आस्ति पक्ष में राज्य सहकारी बैंकों के ऋण और अग्रिमों की वृद्धि में तीव्र गिरावट के कारण हुई। वृद्धि में इस कमी से राज्य सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा घटा *अलबत्ता* मामूली रूप से। ऋण और अग्रिम इन संस्थाओं की कुल आस्तियों के आधे से अधिक बने रहे। शीर्ष स्तर की संस्था होने के नाते राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों का एक बड़ा भाग अल्पकालिक ऋण ढांचे के निम्नतर टियर वाली संस्थाओं को दिया जाता है, राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों की वृद्धि में गिरावट का तात्पर्य हुआ कि निम्नतर टियर वाली संस्थाओं को कम उधार दिए गए। ऋणों और अग्रिमों के हिस्से में आई गिरावट

**सारणी V.24: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 1,246 (1.5) | 1,468 (1.6) | 11.8 | 17.9 |
| 2. आरक्षित निधि | 9,303 (10.8) | 9,250 (10.3) | -1.4 | -0.6 |
| 3. जमाराशियां | 48,560 (56.6) | 52,973 (58.8) | 6.9 | 9.1 |
| 4. उधार | 22,256 (26.0) | 22,164 (24.6) | 31.0 | -0.4 |
| 5. अन्य देयताएं | 4,392 (5.1) | 4,296 (4.8) | 24.0 | -2.2 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. नकदी और बैंक शेष | 9,290 (10.8) | 8,065 (8.9) | 114.9 | -13.2 |
| 2. निवेश | 24,140 (28.1) | 29,060 (32.2) | -12.8 | 20.4 |
| 3. ऋण और अग्रिम | 47,354 (55.2) | 48,228 (53.5) | 19.3 | 1.8 |
| 4. अन्य आस्तियां | 4,971 (5.8) | 4,798 (5.3) | 4.0 | -3.5 |
| **कुल देयताएं / आस्तियां** | **85,756 (100.0)** | **90,151 (100.0)** | **12.1** | **5.1** |

अ : अनंतिम

**टिप्पणी**: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

की राज्य सहकारी बैंकों के निवेशों द्वारा भरपाई की गई, जो 2007-08 में 20.4 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ी। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कुल आस्तियों में उनका हिस्सा लगभग चार प्रतिशत अंक बढ़ा। राज्य सहकारी बैंकों के निवेशों में यह वृद्धि एसएलआर निवेश के रूप में थी जो 2007-08 में इन संस्थाओं के कुल निवेशों के 60 प्रतिशत से अधिक थी।

5.42 मार्च 2009 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार 16 अनुसूचित राज्यों की आस्तियों और देयताओं के कुछ प्रमुख शीर्षों संबंधी धारा 42(2) के आंकड़े उपलब्ध हैं। ये आंकड़े राज्य सहकारी बैंकों की कुल जमाओं में तीव्र वृद्धि को दर्शाते हैं जो इन संस्थाओं की देयताओं के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं।

**सारणी V 25 : अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख संकेतक**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुकवार के अनुसार | | |
|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कुल जमा राशियां | 36,544 | 42,396 (16.0) | 52,568 (24.0) |
| बैंक ऋण | 44,663 | 46,886 (5.0) | 42,372 -(9.6) |
| एलएलआर निवेश | 13,408 | 15,773 (17.6) | 17,179 (8.9) |

**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

**स्रोत** : धारा 42(2) के आंकड़ों की फार्म 'बी' विवरणी।

2007-08 के 16.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल जमाओं में 24.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.25)। 2008-09 के दौरान, इन संस्थाओं के बैंक ऋण में 2007-08 के 5.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 9.6 प्रतिशत की दर से गिरावट हुई।

*राज्य सहकारी बैंक - वित्तीय निष्पादन*

5.43 राज्य सहकारी बैंकों के गैर ब्याज आय का स्रोत सापेक्षिक रूप से कमज़ोर है, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से भिन्न है। ब्याज आय सबसे बड़ा घटक था जिसका हिस्सा 2007-08 में राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय का 98.4 प्रतिशत था (सारणी V.26)। तथापि, इन संस्थाओं के ब्याज आय की वृद्धि और हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार, व्यय पक्ष में, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा खर्च किए गए ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अर्जित ब्याज की तरह, 2007-08 के दौरान खर्च किए गए ब्याज ने भी वृद्धि और हिस्से में बढ़ोतरी दर्ज की। संपूर्ण अल्पकालिक ढांचे में, राज्य सहकारी बैंक केवल ऐसी संस्थाएं थीं जिन्होंने वर्ष के दौरान निवल लाभ कमाया (सारणी V.23)। 2007-08 में रिपोर्ट करने वाले राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या लगभग 82 प्रतिशत थी। यद्यपि वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों ने निवल लाभ कमाया, उनके लाभ की वृद्धि दर में कमी आयी (सारणी V.26)।

**सारणी V.26: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत में घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. आय (i+ii)** | **5,242 (100.0)** | **5,750 (100.0)** | **-7.3** | **9.7** |
| i. ब्याज आय | 4,974 (94.9) | 5,657 (98.4) | -6.5 | 13.7 |
| ii. अन्य आय | 269 (5.1) | 93 (1.6) | -20.0 | -65.4 |
| **ख. व्यय (i+ii+iii)** | **4,967 (100.0)** | **5,565 (100.0)** | **-5.9** | **12.0** |
| i. व्यय किया गया ब्याज | 3,708 (74.7) | 4,397 (79.0) | 1.4 | 18.6 |
| ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय | 502 (10.1) | 372 (6.7) | -51.7 | -25.8 |
| iii. परिचालन व्यय | 757 (15.2) | 796 (14.3) | 30.3 | 5.1 |
| *जिनमें से* : वेतन बिल | 398 (8.0) | 425 (7.6) | 4.4 | 6.8 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i. परिचालन लाभ | 777 | 557 | -45.2 | -28.3 |
| ii. निवल लाभ | 275 | 185 | -27.2 | -32.8 |
| **घ. कुल आस्तियां (मार्च के अंत में)** | **85,756** | **90,151** | **12.1** | **5.1** |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हैं।
**स्रोत :** नाबार्ड।

**सारणी IV.27: राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत में घट-बढ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)** | **6,704** | **6,169** | **-0.5** | **-8.0** |
| i) अवमानक | 2,957 | 2,779 | 7.0 | -6.0 |
| ii) संदिग्ध | 2,625 | 2,652 | 14.5 | 1.1 |
| iii) हानि | 1,122 | 737 | -33.2 | -34.3 |
| **ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात** | **14.2** | **12.8** | | |
| *ज्ञापन मदें:* | | | | |
| ग) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत) | 85.7 | 84.6 | | |
| घ) अपेक्षित प्रावधान | 2,820 | 2,654 | -15.9 | -5.9 |
| ङ) किया गया प्रावधान | 3,200 | 2,998 | -11.1 | -6.3 |

अः अनंतिम।
**स्रोत :** नाबार्ड।

*राज्य सहकारी बैंक - आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन*

5.44 2007-08 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए में समग्र राशि के अर्थ में गिरावट आई (सारणी V.27)। एनपीए का अनुपात (बकाया ऋण की तुलना में) भी मार्च 2007 के अंत के 14.2 प्रतिशत के इसके तदनुरूप स्तर की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 12.8 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहा। इन संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता के हाल के कुछ रुझानों का सार संक्षेप बॉक्स V.3 में दिया गया है।

5.45 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए अनुपात की सरसरी तौर पर तुलना करने से पता चलता है कि राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता काफी अधिक कमजोर थी, जिनका (सकल) एनपीए अनुपात मार्च 2008 के अंत में केवल 12.8 प्रतिशत था। फिर भी, राज्य सहकारी बैंक अपने शहरी प्रतिभागियों अर्थात यूसीबी, जिनका मार्च 2008 के अंत में 15.5 प्रतिशत का उच्चतर (सकल) एनपीए अनुपात था, की तुलना में आस्ति गुणवत्ता के अर्थ में अच्छी स्थिति में थे (सारणी V.16 के संदर्भ में)।

5.46 एनपीए की विभिन्न श्रेणियों में, 'अवमानक' और 'संदिग्ध' आस्तियों में प्रत्येक का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में राज्य सहकारी बैंकों के कुल एनपीए का 40 प्रतिशत था। 'हानि' आस्तियों के तीसरे प्रकार का हिस्सा मार्च 2008 के अंत में 11.9 प्रतिशत था। 2007 और 2008 के बीच 'हानि' आस्तियों की वृद्धि और हिस्से दोनों में गिरावट आई (सारणी V.4)।

*राज्य सहकारी बैंक - क्षेत्रीय स्वरूप*

5.47 विभिन्न राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक अंतर था (परिशिष्ट सारणी V.3)। जबकि एक तरफ, 2007-08 के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्य सहकारी बैंकों का एनपीए अनुपात निम्नतम अर्थात 3 प्रतिशत के आसपास था, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य सहकारी बैंकों के पास अनर्जक स्वरूप में वर्गीकृत उनकी कुल ऋण आस्तियां 40 प्रतिशत थीं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कुल मिलाकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एनपीए अनुपात में हाल में कमी आई है जो वर्षों के दौरान इन बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सापेक्षिक

## बॉक्स V.3 : राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की आस्ति गुणवत्ता में हाल की प्रवृत्ति

राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए 1996-97 में विवेकपूर्ण विनियमों को लागू करने से आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदण्ड लागू हुए। एक अध्ययन में शर्मा आदि (2001) ने इन संस्थाओं पर विवेकपूर्ण विनियम लागू होने के बाद दो वर्ष (1996-97 और 1997-98) के आँकड़े लेते हुए राज्य सहकारी बैंकों की अस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने की कोशिश की। दो वर्ष की छोटी अवधि के दौरान, उन्होंने समग्र राशि के अर्थ में राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी की अनर्जक आस्तियों के स्तर में काफी अधिक वृद्धि पाई। इसी अभ्यास को 2000-01 के बाद दो वर्ष के दौरान दोहराते हुए यह देखा जा सकता है कि 2002-03 से राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों में वास्तव में और अधिक वृद्धि हुई है (सारणी 1)। यह अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तदनुरूप अनुपात की तुलना में काफी अधिक बना हुआ है। अनर्जक आस्तियों की राशि में 2000-01 और 2007-08 की अवधि के बीच धनात्मक दर से वृद्धि हुई है जो तदनुरूप अवधि में इन संस्थाओं के कुल बकाया ऋणों की वृद्धि दर से कम रहा है। तथापि, इस अवधि के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत आस्तियों में विशेष रूप में अधिक वृद्धि हुई है।

2000-01 और 2007-08 के बीच डीसीसीबी के एनपीए अनुपात में कुल मिलाकर वृद्धिशील प्रवृत्ति दिखी है (सारणी 2)। इस अवधि में अनर्जक आस्तियों की वृद्धि दर सापेक्षिक रूप से डीसीसीबी के कुल अग्रिमों की वृद्धि दर से उच्च थी। डीसीसीबी के अन्य दो आस्ति वर्गों की तुलना में 'हानि' आस्तियों में भी वृद्धि तुलनात्मक रूप के अधिक थी। दूसरे शब्दों में, हाल की अवधि में राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक गिरावट आई है।

**सारणी 1 : राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

(राशि करोड़ रुपए में)

| वर्ष | अवमानक आस्तियाँ | संदिग्ध आस्तियाँ | हानि आस्तियाँ | कुल अनर्जक आस्तियाँ | कुल बकाया आस्तियाँ | बकाया ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2000-01 | 2,178 | 1,520 | 191 | 3,889 | 29,848 | 13.0 |
| 2001-02 | 2,403 | 1,821 | 261 | 4,485 | 32,111 | 14.0 |
| 2002-03 | 3,535 | 2,443 | 306 | 6,284 | 32,798 | 19.2 |
| 2003-04 | 3,288 | 3,010 | 250 | 6,548 | 35,105 | 18.7 |
| 2004-05 | 2,961 | 1,975 | 1,136 | 6,072 | 37,346 | 16.3 |
| 2005-06 | 2,763 | 2,292 | 1,680 | 6,735 | 39,684 | 17.0 |
| 2006-07 | 2,957 | 2,625 | 1,122 | 6,704 | 47,354 | 14.2 |
| 2007-08 | 2,779 | 2,652 | 737 | 6,169 | 48,228 | 12.8 |
| सीजीआर (प्रतिशत) | 3.1 | 7.2 | 18.4 | 5.9 | 6.2 | – |

**टिप्पणी:** सीजीआरः वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक दर।
**स्रोत** : नाबार्ड

**सारणी 2 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

(राशि करोड़ रुपए में)

| वर्ष | अवमानक आस्तियाँ | संदिग्ध आस्तियाँ | हानि आस्तियाँ | कुल अनर्जक आस्तियाँ | कुल बकाया आस्तियाँ | बकाया ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2000-01 | 4,994 | 3,466 | 911 | 9,371 | 52,491 | 17.9 |
| 2001-02 | 6,325 | 4,245 | 1,268 | 11,838 | 59,269 | 20.0 |
| 2002-03 | 7,603 | 5,060 | 1,199 | 13,862 | 63,198 | 21.9 |
| 2003-04 | 8,428 | 6,068 | 1,648 | 16,144 | 67,152 | 24.0 |
| 2004-05 | 6,468 | 6,053 | 1,999 | 14,520 | 73,125 | 19.9 |
| 2005-06 | 6,905 | 6,699 | 2,106 | 15,709 | 79,202 | 19.8 |
| 2006-07 | 6,375 | 7,648 | 2,471 | 16,495 | 89,037 | 18.5 |
| 2007-08 | 7,858 | 8,210 | 2,660 | 18,728 | 91,374 | 20.5 |
| सीजीआर (प्रतिशत) | 5.8 | 11.4 | 14.3 | 9.0 | 7.2 | – |

**टिप्पणी** : सीजीआरः वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक दर।
**स्रोत** : नाबार्ड।

**संदर्भ :**

शर्मा, के. सी; पी. जोस, जे.सी. मिश्रा, संजय कुमार (2001), ''ग्रामीण ऋण में वसूली प्रबंधन'' नाबार्ड, आकेजेनल पेपर सं.21.

सुधार को दर्शाती है। आस्ति गुणवत्ता में सुधार विशेष रूप से असम के राज्य सहकारी बैंकों के मामले में ज्ञेय है। उत्तर क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब के राज्य सहकारी बैंकों का एनपीए अनुपात आपवादिक रूप से कम था जो 2 प्रतिशत से कम था। और भी

**चार्ट V.4: राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के वितरण का प्रतिशत**

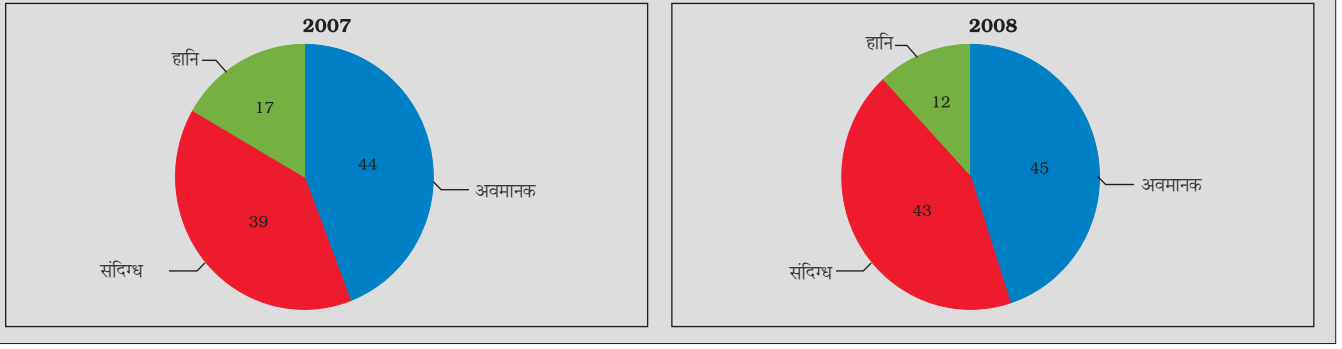

महत्व की बात यह है कि हरियाणा और पंजाब के कम एनपीए अनुपात का यह रुझान एक वर्ष की बात नही है बल्कि उसे वर्षों के दौरान निरंतर देखा गया है। राज्य सहकारी बैंकों, जिनका उच्च एनपीए अनुपात था जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के, ने वर्ष के दौरान निवल हानियां सूचित कीं।

## जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

5.48 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का तुलनपत्र राज्य सहकारी बैंकों से समुचित रूप से तुलनीय प्रतीत होता है (सारणी V.24 के साथ पठित सारणी V.28)। ऋण और अग्रिम डीसीसीबी की आस्तियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हैं; मार्च 2008 के अंत में ऋण और अग्रिमों का हिस्सा 56.4 प्रतिशत था। निवेश 27.4 प्रतिशत के हिस्से के अनुरूप आगे थे। इसी प्रकार, जमाराशियां डीसीसीबी की कुल देयताओं का सबसे बड़ा हिस्सा थीं; मार्च 2008 के अंत में जमाराशियों का हिस्सा लगभग 63.6 प्रतिशत था।

**सारणी V.28: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 5,458 (3.4) | 4,967 (3.1) | 15.0 | -9.0 |
| 2. आरक्षित निधि | 20,722 (13.0) | 19,787 (12.2) | 10.8 | -4.5 |
| 3. जमाराशियां | 94,529 (59.5) | 1,02,986 (63.6) | 8.0 | 8.9 |
| 4. उधार | 29,912 (18.8) | 26,096 (16.1) | 23.5 | -12.8 |
| 5. अन्य देयताएं | 8,273 (5.2) | 8,096 (5.0) | 4.8 | -2.1 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. नकदी और बैंक शेष | 11,274 (7.1) | 9,759 (6.0) | 5.4 | -13.4 |
| 2. निवेश | 41,006 (25.8) | 44,419 (27.4) | 12.0 | 8.3 |
| 3. ऋण और अग्रिम | 89,038 (56.0) | 91,374 (56.4) | 12.4 | 2.6 |
| 4. अन्य आस्तियां | 17,576 (11.1) | 16,380 (10.1) | 6.1 | -6.8 |
| **कुल देयताएं /आस्तियां** | **1,58,894 (100.0)** | **1,61,932 (100.0)** | **11.0** | **1.9** |

अ : अनंतिम।

**टिप्पणी :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल हैं जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

5.49 व्यापक समानताओं के बावजूद, डीसीसीबी के तुलनपत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो उसे राज्य सहकारी बैंकों से अलग करती हैं। एक, जमाओं पर डीसीसीबी की निर्भरता सापेक्षिक रूप से राज्य सहकारी बैंकों से अधिक है। डीसीसीबी उधारों पर कम निर्भर करते हैं। यह कहना अनावश्यक होगा कि डीसीसीबी के उधार मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंकों से होते हैं क्योंकि राज्य सहकारी बैंक अल्पकालिक सहकारी अनुक्रम में शीर्ष संस्था होने के नाते निम्नतर टियर को वित्त प्रदान करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि डीसीसीबी की जमाराशियों में हाल में लगातार वृद्धि दिखी है जिससे उनकी वृद्धि दर 2004-05 के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 8.9 प्रतिशत हो गयी है। दूसरी तरफ, उधार डीसीसीबी की देयताओं के स्पष्ट रूप से परिवर्तनशील घटक रहे हैं जो वर्ष दर वर्ष वृद्धि के अर्थ में काफी अधिक उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं लेकिन उनका हिस्सा कुल मिलाकर गिरते रुझान को दर्शाता है।

*डीसीसीबी - वित्तीय निष्पादन*

5.50 डीसीसीबी के वित्तीय निष्पादन की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता सापेक्षिक रूप से उनका राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में 'अन्य' (गैर ब्याज) आय का बड़ा हिस्सा है (सारणी V.26 के साथ पठित सारणी V.29)। 2007-08 में अन्य आय का हिस्सा राज्य सहकारी बैंकों के 1.6 प्रतिशत की तुलना में डीसीसीबी के लिए 7.8 प्रतिशत था। उसके अलावा, वेतन बिल राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में डीसीसीबी के परिचालन व्यय का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक था। वर्ष के दौरान डीसीसीबी के कुल व्ययों में वेतन बिल का हिस्सा राज्य सहकारी बैंकों के 7.6 प्रतिशत की तुलना में 15.9 प्रतिशत था।

5.51 डीसीसीबी ने पिछले वर्ष के मुनाफे के विपरीत 2007-08 के दौरान समग्र हानियां दर्ज की। हाल में डीसीसीबी के मुनाफे में कमी आई है जो 2004-05 के 971 करोड़ रुपए से तेजी से गिरकर 2007-08 में (-) 65 करोड़ रुपए हो गया है। कुल के स्तर पर समग्र हानियों के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि 2007-08 के दौरान (रिपोर्टिंग) डीसीसीबी की कुल संख्या लगभग 73

**सारणी V.29: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. आय (i+ii)** | **11,652 (100.0)** | **11,702 (100.0)** | **-0.3** | **0.4** |
| i. ब्याज आय | 10,597 (90.9) | 10,793 (92.2) | -0.8 | 1.8 |
| ii. अन्य आय | 1,055 (9.1) | 909 (7.8) | 5.5 | -13.8 |
| **ख. व्यय (i+ii+iii)** | **11,622 (100.0)** | **11,767 (100.0)** | **1.2** | **1.2** |
| i. व्यय किया गया ब्याज | 6,668 (57.4) | 7,038 (59.8) | 1.4 | 5.5 |
| ii. प्रावधान और आकस्मिक खर्च | 2,284 (19.7) | 1,934 (16.4) | -10.9 | -15.3 |
| iii. परिचालन खर्च | 2,670 (23.0) | 2,795 (23.7) | 14.0 | 4.7 |
| *जिसमें से* : वेतन बिल | 1,837 (15.8) | 1,865 (15.9) | 11.5 | 1.5 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i. परिचालन लाभ | 2,314 | 1,869 | -16.4 | -19.2 |
| ii. निवल लाभ | 31 | -65 | -85.0 | – |
| **घ. कुल आस्तियां (मार्च अंत)** | **1,58,893** | **1,61,932** | **11.0** | **1.9** |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
**स्रोत** : नाबार्ड।

**सारणी V.30: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)** | **16,495** | **18,728** | **5.0** | **13.5** |
| i) अवमानक | 6,375 | 7,858 | -7.7 | 23.3 |
| ii) संदिग्ध | 7,648 | 8,210 | 14.2 | 7.3 |
| iii) हानि | 2,471 | 2,660 | 17.4 | 7.6 |
| **ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात** | **18.5** | **20.5** | | |
| *ज्ञापन मदें:* | | | | |
| i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत) | 71.0 | 55.6 | | |
| ii) अपेक्षित प्रावधान | 10,222 | 10,391 | 17.3 | 1.7 |
| iii) किया गया प्रावधान | 12,163 | 12,075 | 17.4 | -0.7 |

अ : अनंतिम।
**स्रोत :** नाबार्ड।

प्रतिशत थी (सारणी V.23 के संदर्भ में)। 2007-08 के दौरान डीसीसीबी के समग्र मुनाफे में कमी का एक कारण उनकी 'अन्य' आय में तीव्र गिरावट थी।

*डीसीसीबी - आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन*

5.52 डीसीसीबी के लिए 2007-08 में ऋण की तुलना में एनपीए के अनुपात में कमी आई (सारणी V.30)। तथापि, बढ़ा हुआ एनपीए मुख्य रूप से 'अवमानक' वर्ग में था, जबकि 'संदिग्ध' और 'हानि' श्रेणी में एनपीए में कमी आई (चार्ट V.5)। इस प्रकार, 2007-08 के दौरान ऋण आस्तियों का अंतरण अवमानक श्रेणी की तरफ हुआ जैसा कि राज्य सहकारी बैंकों के मामले में भी हुआ था। डीसीसीबी के एनपीए प्रोफाइल के संबंध में यह एक सकारात्मक गतिविधि थी। इसके अलावा, राज्य

**चार्ट V.5: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के वितरण का प्रतिशत**

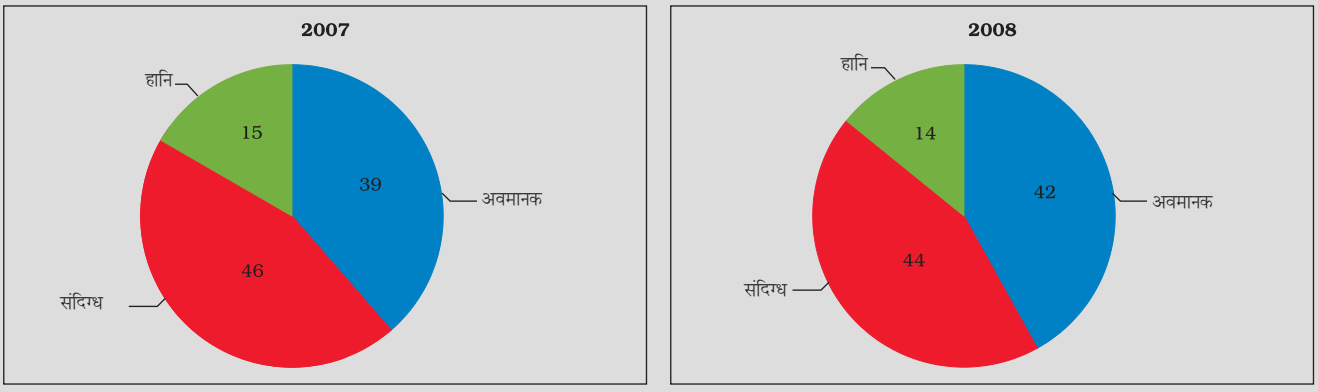

सहकारी बैंकों की तरह डीसीसीबी ने 2007-08 के दौरान उनके अपेक्षित एनपीए स्तर से अधिक प्रावधान किए।

*डीसीसीबी - क्षेत्रीय स्वरूप*

5.53 राज्य सहकारी बैंकों की तरह डीसीसीबी की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में भिन्न-भिन्न है (परिशिष्ट सारणी V.4)[4]। उत्तर क्षेत्र के डीसीसीबी ने सामान्य रूप से 2007-08 के दौरान मुनाफा कमाने वाले (रिपोर्टिंग) डीसीसीबी को संख्या के अर्थ में अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष के दौरान मुनाफा कमाने वाले उत्तरी क्षेत्र के डीसीसीबी का प्रतिशत 73 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत की तुलना में लगभग 78 प्रतिशत था। इसके अलावा, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र के डीसीसीबी ने वर्ष के दौरान समग्र हानि दर्ज की। 2007-08 के दौरान एनपीए अनुपात भी सामान्य रूप में उत्तरी क्षेत्र और विशेष रूप से हरियाणा के डीसीसीबी के लिए सबसे कम था। हरियाणा के डीसीसीबी के मामले में, 2007-08 के दौरान उनके बकाया ऋणों का केवल 5.1 प्रतिशत अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह दोहराने की आवश्यकता है कि एनपीए अनुपात भी हरियाणा के डीसीसीबी (0.1 प्रतिशत) के लिए देश में सबसे कम था (परिशिष्ट सारणी V.3)। हरियाणा के विपरीत, झारखंड के डीसीसीबी (75.9 प्रतिशत पर) के पास देश में सबसे अधिक एनपीए अनुपात था इसके पश्चात बिहार (54.5 प्रतिशत पर) का।

## प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

5.54 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) उन अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचे में तीसरी और निम्नतम टियर बनाती हैं जो आधारभूत स्तर पर अर्थात गांवों में सीधे कार्य करती हैं। चूंकि ये संस्थाएं ग्रामीण उधारकर्ताओं को सीधे ऋण प्रदान करती हैं, पीएसीएस के कवरेज और सक्षमता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि सहकारी ढांचे से समावेशी वित्त सुनिश्चित किया जा सके और अल्पकालिक सहकारी ढांचे के स्थायित्व को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, ऋण और जमाराशि दोनों के अर्थ में अल्पकालिक सहकारी ऋण का कारोबार और बैंकिंग ढांचा ग्रामीण सहकारी ढांचे का अधिक प्रभावी घटक है, अतः अल्पकालिक ढांचे की स्थिरता के, संपूर्ण ग्रामीण सहकारी ढांचे के स्थायित्व के लिए और इस प्रकार कुल मिलाकर ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के लिए, बड़े निहितार्थ हैं।

5.55 2007-08 के दौरान उधार पीएसीएस के कुल स्त्रोतों के लगभग 56.7 प्रतिशत थे (सारणी V.31)। 2007-08 में, उधारों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि जमाराशियों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणाम के रूप में, 2007-08 में पीएसीएस के उधार उनकी जमाओं के लगभग दोगुने थे।

5.56 बकाया कुल ऋणों की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत, जो पीएसीएस की अनर्जक आस्तियों का एक मोटा संकेतक है, अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के सभी तीन टियरों में सबसे अधिक है (सारणी V.30, सारणी V.27 के साथ पठित सारणी V.31)। साथ ही, यह अनुपात मार्च 2007 के अंत के 26.9 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 36.6 प्रतिशत हो गया।

5.57 पीएसीएस (रिपोर्टिंग) की कुल संख्या में 2007-08 के दौरान 44 प्रतिशत लाभ कमाने वाले थे जबकि शेष 56 प्रतिशत हानि में थे (सारणी V.23)। वर्ष के दौरान पीएसीएस में 3,481 करोड़ रुपए की समग्र हानि दर्ज हुई।

*पीएसीएस - सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल*

5.58 पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल यह जानकारी प्रदान करते हैं कि क्या पीएसीएस ग्रामीण जनता के कमज़ोर वर्ग की ऋण आवश्यकताएं प्रदान करने में समर्थ हैं अथवा नही जैसा कि उनसे आशा की गई है। इस प्रकार यह वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में पीएसीएस की भूमिका का एक परिचायक है।

[4] चूंकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य एकात्मक अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे का अनुगमन करते हैं इन राज्यों में कोई डीसीसीबी नहीं है।

**सारणी V.31: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - तुलनपत्र के चुनिंदा संकेतक**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2006-07 | 2007-08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. देयताएं** | | | | |
| 1. कुल संसाधन (2+3+4) | 78,237 | 84,281 | 12.0 | 7.7 |
| 2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख) | 11,038 | 10,984 | 18.8 | -0.5 |
| क. प्रदत्त पूंजी | 6,138 | 6,597 | 8.8 | 7.5 |
| *जिसमें से,* सरकार का अंशदान | 648 | 629 | 4.2 | -2.9 |
| ख. कुल आरक्षित निधियां | 4,900 | 4,387 | 34.3 | -10.5 |
| 3. जमाराशियां | 23,484 | 25,449 | 20.1 | 8.4 |
| 4. उधार | 43,715 | 47,848 | 6.6 | 9.5 |
| 5. कार्यशील पूंजी | 79,959 | 88,107 | 9.0 | 10.2 |
| **ख. आस्तियां** | | | | |
| 1. कुल जारी ऋण (क+ख)* | 49,613 | 57,643 | 15.6 | 16.2 |
| क) अल्पावधि | 40,796 | 47,390 | 14.5 | 16.1 |
| ख) मध्यावधि | 8,817 | 10,253 | 20.8 | 16.3 |
| 2. कुल बकाया ऋण (क+ख) | 58,620 | 65,666 | 13.2 | 12.0 |
| क) अल्पावधि | 37,764 | 43,696 | 10.6 | 15.7 |
| ख) मध्यावधि | 20,856 | 21,970 | 18.2 | 5.3 |
| **ग. अतिदेय राशि** | | | | |
| 1. कुल मांग | 54,112 | 67,293 | 6.1 | 24.4 |
| 2. कुल वसूली | 38,359 | 43,290 | 8.0 | 12.9 |
| 3. कुल अतिदेय (क+ख) | 15,753 | 24,003 | 1.8 | 52.4 |
| क) अल्पावधि | 11,558 | 20,182 | 1.5 | 74.6 |
| ख) मध्यावधि | 4,194 | 3,821 | 2.6 | -8.9 |
| 4. बकाया ऋण की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत | 26.9 | 36.6 | | |

* : वर्ष के दौरान।
**स्रोत** : नाफस्कोब।

**सारणी V.32 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां- सदस्य और उधारकर्ता**

| मद | मार्च के अंत में | |
|---|---|---|
| | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 |
| **1. समितियों की संख्या** | **97,224** | **94,942** |
| **2. कुल सदस्यता (मिलियन में)** | **126** | **132** |
| *जिसमें से:* | | |
| क) अजा | 29 (23.0) | 30 (22.7) |
| ख) अजजा | 11 (8.7) | 11 (8.3) |
| **3. उधारकर्ताओं की कुल संख्या (मिलियन में)** | **48** | **79** |
| *जिसमें से:* | | |
| क) अजा | 6 (12.5) | 8 (10.1) |
| ख) अजजा | 3 (6.2) | 5 (6.3) |

**टिप्पणी :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
2. अजा - अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जनजाति
**स्रोत :** नाफस्कोब

5.59 2007-08 के दौरान पीएसीएस का सदस्यों की तुलना में उधारकर्ता अनुपात पिछले वर्ष के केवल 38 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक अर्थात 60 प्रतिशत था। सहकारी समिति का सदस्य होने की अनिवार्यता लेकिन उधारकर्ता के लिए पर्याप्त शर्त नहीं होने के कारण, उधारकर्ता सदस्यों के बढ़ते अनुपात को पीएसीएस के सदस्यों के बीच सहकारी ऋण तक बढ़ती पहुंच को देखते हुए, एक सकारात्मक लक्षण के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। कुल सदस्यों में से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति (अजा/अजजा) वर्ग के थे (सारणी V.32)। हाल के वर्षों में जबकि पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं के रूप में छोटे किसानों की उपस्थिति बढ़ रही है, अजा/अजजा के सदस्यों और उधारकर्ताओं की संख्या में कमी हो रही है (बॉक्स V.4)।

*पीएसीएस - क्षेत्रीय स्वरूप*

5.60 सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल के अलावा, पीएसीएस का क्षेत्रीय स्वरूप भी उनके वित्तीय समावेशन में उनकी भूमिका का एक परिचायक है। पीएसीएस के क्षेत्रीय स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पीएसीएस नेटवर्क के विकास में असमानता रही है। पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में पीएसीएस का काफी अधिक संकेद्रण है (परिशिष्ट सारणी V.5)। 2007-08 में, औसतन कुल मिलाकर भारत में प्रति पीएसीएस सात गांव थे, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में यह अनुपात केवल दो का था। दूसरी तरफ, यह अनुपात केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रति पीएसीएस दस

## बॉक्स V.4 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को शामिल करना

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अल्पकालिक सहकारी ऋण ढाँचे में आधारभूत स्तर की संस्था होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में देखा जाता है। वे, *अन्य बातों के साथ-साथ,* छोटे और सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति और जनजाति (अजा/अजजा) सहित ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को ऋण उपलब्ध कराती हैं।

2002-03 से सदस्यों और उधारकर्ताओं के प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं की कुल संख्या में छोटे किसानों के अनुपात की बढ़ती प्रवृत्ति रही है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि पीएसीएस के उधारकर्ताओं के रूप में छोटे किसानों की संख्या सदस्यों की संख्या (2.0 प्रतिशत) की तुलना में काफी तेज दर से बढ़ी (7.2 प्रतिशत वार्षिक) है (सारणी 1)। इससे यह पता चलता है कि हाल के समय में छोटे किसानों की बढ़ती संख्या पीएसीएस से ऋण ले पाने में समर्थ हो सकी है।

तथापि, 2002-03 और 2007-08 के बीच, केवल 2004-05 की अवधि में हुई वृद्धि को छोड़कर, पीएसीएस के सदस्यों और उधारकर्ताओं की कुल संख्या में अजा / अजजा के प्रतिशत में कमी आई है। इसी प्रकार, पीएसीएस के कुल सदस्यों और उधारकर्ताओं में ग्रामीण कामगारों के प्रतिशत में भी कमी आई है। तथापि, इस अवधि के दौरान अजा/ अजजा के सदस्यों और उधारकर्ताओं की वास्तविक संख्या में भी कमी आई है। ग्रामीण ऋण के एक बड़े भाग को पूरा करने वाले इस असंगठित क्षेत्र के लिए पीएसीएस को और अधिक सक्षम तथा सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।

**सारणी 1 : पीएसीएस के उधारकर्ताओं और सदस्यों के प्रोफाइल**

(000' में)

| वर्ग | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | सीजीआर (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **सदस्य** | | | |
| **कुल सदस्य** | **1,23,552 (100.0)** | **1,35,411 (100.0)** | **1,27,406 (100.0)** | **1,25,197 (100.0)** | **1,25,792 (100.0)** | **1,31,530 (100.0)** | **1.0** |
| *जिनमें से,* | | | | | | | |
| 1. अजा | (26.9) | (22.6) | (24.3) | (24.4) | (23.4) | (22.6) | -1.8 |
| 2. अजजा | (9.7) | (8.8) | (9.3) | (9.3) | (8.8) | (8.5) | -1.2 |
| 3. छोटे किसान | (35.2) | (37.0) | (38.8) | (35.7) | (35.1) | (37.3) | 2.0 |
| 4. ग्रामीण कारीगर | (6.1) | (4.7) | (5.7) | (5.2) | (3.4) | (3.6) | -7.5 |
| | | | | **कुल उधारकर्ता** | | | |
| **कुल उधारकर्ता** | **63,880 (100.0)** | **51,265 (100.0)** | **45,070 (100.0)** | **46,081 (100.0)** | **47,910 (100.0)** | **79,408 (100.0)** | **3.7** |
| *जिनमें से,* | | | | | | | |
| 1. अजा | (18.0) | (9.2) | (16.1) | (15.1) | (11.8) | (9.7) | -6.4 |
| 2. अजजा | (12.6) | (6.7) | (7.7) | (7.2) | (7.2) | (6.3) | -7.6 |
| 3. छोटे किसान | (26.9) | (26.3) | (28.2) | (31.8) | (32.2) | (32.8) | 7.2 |
| 4. ग्रामीण कारीगर | (4.8) | (4.9) | (4.7) | (3.9) | (4.0) | (2.6) | -6.4 |

सीजीआरः चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर
अजाः अनुसूचित जाति
अजजाः अनुसूचित जनजाति
छोटे किसानः 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले

**टिप्पणी:** कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

**स्रोत:** नाफस्कोब।

गांव से अधिक था जो इन क्षेत्रों में पीएसीएस की कम उपस्थिति को दर्शाता है[5]।

5.61 2007-08 के दौरान लाभ रिपोर्ट करने वाले पीएसीएस का प्रतिशत उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक था। भले ही महाराष्ट्र में पीएसीएस का विस्तृत नेटवर्क हो, लेकिन इसका पूरे देश में लाभार्जन करने वाले पीएसीएस में सबसे कम प्रतिशत था। पंजाब, हरियाणा और केरल ऐसे राज्य थे जहां अर्थक्षम के रूप में वर्गीकृत पीएसीएस सबसे अधिक थे।

## ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घकालिक संरचना

5.62 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घकालिक संरचना के अंतर्गत राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आते हैं। इन संस्थाओं की स्थापना कृषि के लिए दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता पूरी करने के प्रयोजनार्थ की गयी थी। यद्यपि, दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं के कारोबार की मात्रा अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं से कम होती है तथापि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में दीर्घावधि ऋण संस्थाओं की भूमिका

[5] प्रति पीएसीएस गांव पीएसीएस के प्रसार का एक मूल संकेतक है। यह गांवों की जनसंख्या के आकार में अंतर और विभिन्न क्षेत्रों के गांवों के बीच दूरी को देखते हुए पीएसीएस तक प्रभावी पहुंच के संबंध में सीमित ज्ञान प्रदान करता है।

निश्चित और विशेषीकृत होती है। इसके अलावा, दीर्घावधि संस्थाओं में कतिपय संरचनागत विशिष्ट बातें होती हैं और इसलिए इन संस्थाओं के परिचालनों को अलग नज़रिए से देखे जाने की आवश्यकता है।

## राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

5.63 एससीएआरडीबी के तुलनपत्रों से पता चलता है कि ये संस्थाएं उधार के लिए नाबार्ड जैसे स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। 2007-08 में जमाराशियों के विपरीत, उधार इन संस्थाओं की कुल देयताओं के 64.9 प्रतिशत थे जो उनकी कुल देयताओं के मात्र 2.6 प्रतिशत थे (सारणी V.33)।

5.64 आस्ति पक्ष में 2007-08 के दौरान ऋण और अग्रिम की राशियां एससीएआरडीबी की कुल आस्तियों की लगभग तीन चौथाई थीं जबकि निवेश उनकी आस्तियों के लगभग 10 प्रतिशत ही थे। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि हाल में इन संस्थाओं की कुल आस्तियों में निवेश का हिस्सा बढ़ रहा है।

*एससीएआरडीबी - वित्तीय निष्पादन*

5.65 राज्य सहकारी बैंकों की तरह एससीएआरडीबी के पास गैर-ब्याज आय के सीमित स्रोत हैं। 2007-08 में एससीएआरडीबी का 'अन्य' में हिस्सा मात्र 7.7 प्रतिशत था (सारणी V.34)। तथापि, 2007-08 के दौरान एससीएआरडीबी की 'अन्य' आय की वृद्धि में तीव्र गिरावट आयी जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं की कुल आय में इसके हिस्से में तीव्र कमी आयी।

*एससीएआरडीबी - आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन*

5.66 2007-08 के दौरान एससीएआरडीबी का ऋण की तुलना में अनर्जक आस्ति अनुपात 34.5 प्रतिशत था। अनर्जक आस्ति अनुपात में वृद्धि होने के अलावा, वर्ष के दौरान ऋण आस्तियों का 'अवमानक' श्रेणी से निकल कर 'संदिग्ध' तथा 'हानि' वाली आस्ति श्रेणी में जाना एससीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों के प्रोफाइल में गिरावट को दर्शाती है (सारणी V.35)।

*एससीएआरडीबी - क्षेत्रीय स्वरूप*

5.67 2007-08 के दौरान एससीएआरडीबी ने 247 करोड़ रुपए का समग्र घाटा सूचित किया जो मुख्य रूप से पश्चिमी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में एससीएआरडीबी की हानियों के परिणामस्वरूप था (परिशिष्ट सारणी V.6)। हानि दर्शाने वाले एससीएआरडीबी में सबसे बड़ा स्थान पश्चिमी क्षेत्र के महाराष्ट्र एससीएआरडीबी का है जिसने वर्ष के दौरान 203 करोड़ रुपए का घाटा सूचित किया। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा तथा दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु और केरल के एससीएआरडीबी सर्वाधिक बड़े लाभार्जक एससीएआरडीबी थे। इन संस्थाओं का अनर्जक आस्ति अनुपात भी काफी कम था। जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है पंजाब और हरियाणा के राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता और उनकी आस्ति गुणवत्ता देश के अन्य राज्य सहकारी बैंक की तुलना में अधिक मजबूत पायी गयी।

**सारणी V.33: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 794 (3.3) | 1,208 (5.0) | -0.9 | 52.1 |
| 2. आरक्षित निधियां | 2,137 (8.8) | 2,505 (10.3) | -9.2 | 17.2 |
| 3. जमाराशियां | 605 (2.5) | 645 (2.6) | -4.9 | 6.6 |
| 4. उधार | 16,662 (68.5) | 15,843 (64.9) | -2.4 | -4.9 |
| 5. अन्य देयताएं | 4,138 (17.0) | 4,202 (17.2) | -10.7 | 1.5 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. नकदी और बैंक शेष | 279 (1.1) | 239 (1.0) | -23.6 | -14.3 |
| 2. निवेश | 1,916 (7.9) | 2,526 (10.3) | 1.6 | 31.8 |
| 3. ऋण और अग्रिम | 18,644 (76.6) | 18,217 (74.7) | 5.3 | -2.3 |
| 4. अन्य आस्तियां | 3,497 (14.4) | 3,421 (14.0) | -24.6 | -2.2 |
| **कुल देयताएं /आस्तियां** | **24,336 (100.0)** | **24,403 (100.0)** | **-1.1** | **0.3** |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं ।
**स्रोत** : नाबार्ड ।

**सारणी V.34: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. आय (i+ii)** | **2,293 (100.0)** | **1,790 (100.0)** | **-3.2** | **-21.9** |
| i. ब्याज आय | 1,809 (78.9) | 1,652 (92.3) | -20.3 | -8.7 |
| ii. अन्य आय | 484 (21.1) | 139 (7.7) | 380.4 | -71.3 |
| **ख. व्यय (i+ii+iii)** | **2,204 (100.0)** | **2,037 (100.0)** | **4.6** | **-7.5** |
| i. व्यय किया गया ब्याज | 1,280 (58.1) | 1,262 (61.9) | -4.1 | -1.4 |
| ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय | 667 (30.3) | 557 (27.3) | -25.7 | -16.5 |
| iii. परिचालन व्यय | 256 (11.6) | 218 (10.7) | 15.3 | -14.8 |
| *जिसमें*, वेतन बिल | 185 (8.4) | 160 (7.8) | 9.7 | -13.8 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i. परिचालन लाभ | 757 | 310 | 40.6 | -59.1 |
| ii. निवल लाभ | 89 | -247 | -261.2 | – |
| **घ. कुल आस्तियां (मार्च के अंत में)** | **24,336** | **24,403** | **-1.1** | **0.3** |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
**स्रोत** : नाबार्ड।

## प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

5.68 2007-08 में पीसीएआरडीबी के तुलनपत्रों में 16.4 प्रतिशत का तीव्र संकुचन रहा जो मुख्य रूप से देयता पक्ष में जमा और उधार दोनों की राशियों में कमी आने के कारण था (सारणी V.36)। पीसीएआरडीबी के लिए जमाराशियां निधियों की कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं थीं। ये संस्थाएं उधारों पर बहुत अधिक निर्भर थीं।

5.69 आस्ति पक्ष में पीसीएआरडीबी के तुलनपत्र में आया संकुचन वर्ष के दौरान इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों की राशियों में आयी भारी गिरावट के कारण था। राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी के विपरीत

**सारणी V.35: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)** | **5,643** | **6,292** | **-2.4** | **11.5** |
| i) अवमानक | 4,315 (76.5) | 3,238 (51.5) | 15.0 | -25.0 |
| ii) संदिग्ध | 1,310 (23.2) | 2,845 (45.2) | -34.8 | 117.1 |
| iii) हानि | 17 (0.3) | 209 (3.3) | -5.6 | 1129.4 |
| **ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात** | **30.3** | **34.5** | | |
| *ज्ञापन मदें:* | | | | |
| i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत) | 43.9 | 49.0 | | |
| ii) अपेक्षित प्रावधान | 1,287 | 1,410 | -18.4 | 9.6 |
| iii) किए गए प्रावधान | 1,287 | 1,433 | -18.4 | 11.4 |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
**स्रोत** : नाबार्ड।

एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी की कुल आस्तियों में निवेश का हिस्सा सापेक्षिक रूप से कम था।

*पीसीएआरडीबी-वित्तीय निष्पादन*

5.70 पीसीएआरडीबी ने 2007-08 के दौरान समग्र हानि सूचित की (सारणी V.37)। हानि की प्रवृत्ति सिर्फ 2007-08 तक ही सीमित नहीं थी, इसे हाल के पहले के वर्षों में भी देखा जा सकता है जिससे इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में काफी अधिक क्षरण के संकेत दिखाई देते हैं। वर्ष के दौरान पीसीएआरडीबी के परिचालनगत लाभों में तीव्र गिरावट आयी। परिचालनगत लाभों में आयी गिरावट इन संस्थाओं के निवल ब्याज आय में कमी के कारण थी।

*पीसीएआरडीबी-आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन*

5.71 पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियां, निरपेक्ष संदर्भ में और ऋणों के प्रतिशत के रूप में दोनों ही तरह, 2007-08 के दौरान काफी अधिक बढ़ी। यह विस्मयकारी है कि 2007-08

**सारणी V.36: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 918 (4.2) | 703 (3.9) | -0.4 | -23.4 |
| 2. आरक्षित निधियां | 2,678 (12.3) | 2,336 (12.8) | 0.5 | -12.8 |
| 3. जमाराशियां | 341 (1.6) | 331 (1.8) | -10.7 | -2.9 |
| 4. उधार | 12,751 (58.6) | 10,206 (56.0) | -2.4 | -20.0 |
| 5. अन्य देयताएं | 5,085 (23.4) | 4,633 (25.4) | 17.4 | -8.9 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. नकदी और बैंक शेष | 223 (1.0) | 119 (0.7) | -0.4 | -46.7 |
| 2. निवेश | 824 (3.8) | 752 (4.1) | 5.9 | -8.6 |
| 3. ऋण और अग्रिम | 12,114 (55.6) | 9,529 (52.3) | -4.9 | -21.3 |
| 4. अन्य आस्तियां | 8,612 (39.6) | 7,809 (42.9) | -13.0 | -9.3 |
| **कुल देयताएं / आस्तियां** | **21,774 (100.0)** | **18,209 (100.0)** | **1.9** | **-16.4** |

अ : अनंतिम।

**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

**स्रोत** : नाबार्ड।

**सारणी V.37: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | राशि | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08अ | 2006-07 | 2007-08अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. आय (i+ii)** | **2,446 (100.0)** | **1,425 (100.0)** | **15.3** | **-41.8** |
| i) ब्याज आय | 1,923 (78.6) | 1,276 (89.5) | 13.8 | -33.7 |
| ii) अन्य आय | 524 (21.4) | 149 (10.5) | 20.7 | -71.5 |
| **ख. व्यय (i+ii+iii)** | **2,594 (100.0)** | **1,771 (100.0)** | **16.2** | **-31.7** |
| i) व्यय किया गया ब्याज | 1,259 (48.5) | 947 (53.5) | 1.6 | -24.8 |
| ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय | 1,014 (39.1) | 535 (30.2) | 45.3 | -47.3 |
| iii) परिचालन व्यय | 321 (12.4) | 289 (16.3) | 8.8 | -9.9 |
| *जिसमें से*, वेतन बिल | 221 (8.5) | 191 (10.8) | 7.8 | -13.7 |
| **ग. लाभ** | | | | |
| i) परिचालन लाभ | 867 | 189 | 47.2 | -78.2 |
| ii) निवल लाभ | -147 | -346 | -34.9 | -134.5 |
| **कुल आस्तियां (मार्च अंत)** | **21,774** | **18,209** | **1.9** | **-16.4** |

अ : अनंतिम।

**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

**स्रोत** : नाबार्ड।

के दौरान पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों के घटकों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इन संस्थाओं का 'अवमानक' 'संदिग्ध' और 'हानि' आस्तियों का प्रतिशत 2007 और 2008 के बीच व्यापक रूप से अपरिवर्तित रहा (सारणी V.38)।

*पीसीएआरडीबी - क्षेत्रीय स्वरूप*

5.72 2007-08 में 470 रिपोर्टिंग पीसीएआरडीबी (कुल 697 में से) में से केवल 42 प्रतिशत ने लाभ कमाया जबकि शेष सभी घाटे में रहीं। पीसीएआरडीबी ने 2007-08 में 346 करोड़ रुपए की समग्र हानि दर्ज की। इससे देश में पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता की दयनीय स्थिति और सीमा का पता चलता है। लाभार्जन करने वाले पीसीएआरडीबी का प्रतिशत उत्तरी क्षेत्र विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सर्वाधिक था (परिशिष्ट सारणी V.7)। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तरी क्षेत्र (विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब) को पहले सापेक्षिक रूप से बेहतर लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता, न सिर्फ पीसीएआरडीबी और एससीएआरडीबी के लिए अपितु राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी के लिए भी, के लिए जाना जाता था। अनर्जक आस्ति अनुपात, जो आस्ति गुणवत्ता की माप का मापदंड होता है, 2007-08 में पश्चिम बंगाल के पीसीएआरडीबी के लिए 17 प्रतिशत के न्यूनतम पर था। इसके विपरीत 2007-08 के दौरान पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्ति का अनुपात उड़ीसा और महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत से अधिक के सर्वोच्च स्तर पर था।

**सारणी V.38: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत मे | | प्रतिशत घटबढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 अ | 2006-07 | 2007-08 अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **क. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ ii + iii)** | **4,316** | **5,113** | **-5.9** | **18.5** |
| i) अवमानक | 2,512 (58.2) | 2,980 (58.3) | -5.7 | 18.6 |
| ii) संदिग्ध | 1,783 (41.3) | 2,105 (41.2) | -4.8 | 18.0 |
| iii) हानि | 21 (0.5) | 28 (0.5) | -55.1 | 30.0 |
| **ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात** | **35.4** | **53.7** | | |
| *ज्ञापन मदें:* | | | | |
| ग. मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत) | 52.0 | 44.0 | | |
| घ. अपेक्षित प्रावधान | 799 | 902 | -26.1 | 12.9 |
| ड. किए गए प्रावधान | 799 | 948 | -26.1 | 18.7 |

अ : अनंतिम।
**टिप्पणी** : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
**स्रोत** : नाबार्ड।

## 5. नाबार्ड और ग्रामीण ऋण

5.73 1982 में नाबार्ड की स्थापना से इसने शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। नाबार्ड की स्थापना इस अधिदेश के साथ की गई थी कि वह उत्पादन के प्रवाह को बढ़ाने और कृषि तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों जैसे - कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए निवेश ऋण देने हेतु ऋण सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा। पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नाबार्ड वर्षों तक ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं की क्षमता निर्माण में भी प्रयत्नशील रहा है। क्षमता निर्माण करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में, नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वृद्धि और वित्तीय स्थिति पर ध्यान देता रहा है। इसके अलावा, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेष पहलों जैसे - व्यष्टि वित्त पहलों को समर्थन देने में भी सक्रिय रहा है। ग्रामीण विकास से संबंधित नीति निर्धारण करने में नाबार्ड राज्य सरकारों,रिज़र्व बैंक और अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ संपर्क बनाए रखता है।

*नाबार्ड के संसाधन*

5.74 एससीबी,एसटीसीबी और आरआरबी की अल्पावधि अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नाबार्ड को सक्षम बनाने हेतु रिज़र्व बैंक ने भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 17(4ई) के अंतर्गत नाबार्ड को 2005-06 तक दो सामान्य ऋण व्यवस्थाएं (जीएलसी) प्रदान कीं। 2005-06 के लिए स्वीकृत जीएलसी सीमा को परिचालित करने के लिए नाबार्ड को 31 दिसंबर 2006 तक आहरण करने और चुकौती करने की अनुमति दी गई। इस तारीख के पश्चात रिज़र्व बैंक ने जीएलसी के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराना बंद कर दिया और नाबार्ड से कहा कि वह निधियों की बाजार से व्यवस्था करे। केंद्रीय बजट 2008-09 में की गई घोषणा के बाद नाबार्ड के पास 5,000 करोड़ रुपए के कॉरपस के साथ अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) (एसटीसीआरसी) की स्थापना की गई जिसमें उन राज्य सहकारी बैंकों को जो कृषि के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों को पूरा करने में चूक गए थे, अंशदान करना है। इस निधि का उद्देश्य अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं के पुनर्वित्त में वृद्धि करना है। 2008-09 के दौरान कंपनी बॉंड, भविष्य निर्माण बॉंड, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) जमाराशियां, वाणिज्यपत्र और मीयादी मुद्रा उधार राशियां जारी करने से नाबार्ड के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 400 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण(एनआरसी)दीर्घवधि परिचालन (एलटीओ) निधि को और 10 करोड़ रुपए की राशि एनआरसी(स्थिरीकरण)निधि को स्थानांतरित की गई। समग्र रूप से 2008-08 के दौरान नाबार्ड के संसाधनों में लगभग 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी V.39)।

*नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए ऋण*

5.75 ग्रामीण ऋणदात्री संस्थाओं के लिए शीर्ष पुनर्वित्त एजेंसी होने के नाते नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) को मुख्यतया मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तीयन के लिए अल्पावधि ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एसटीसीबी को अल्पावधि ऋण सहायता उपलब्ध कराना सामान्यतया नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जानेवाले कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। वर्ष 2008-09 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कुल ऋण सीमा में

**सारणी V.39: नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि**

(राशि करोड़ रुपए में)

| संसाधन का प्रकार | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. पूंजी | – | – |
| 2. आरक्षित निधियां और अधिशेष | 801 | 932 |
| 3. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) निधि (i+ii) | 412 | 412 |
| i) दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि | 401 | 401 |
| ii) स्थिरीकरण निधि | 11 | 11 |
| 4. जमाराशिया (i+ii+iii) | 10,462 | 21,428 |
| i) साधारण जमाराशियां | 24 | 376 |
| ii) एसटीसीआरसी निधि | – | 4,622 |
| iii) आइआरडीएफ जमाराशियां | 10,438 | 16,430 |
| 5. उधार (i+ii+iii+iv+v+vi+vii) | 1,437 | -3,302 |
| i) बांड और डिबेंचर | -192 | -4,996 |
| ii) जमा प्रमाण पत्र | 1,422 | 394 |
| iii) वाणिज्यिक पत्र | – | 181 |
| iv) सावधि मुद्रा उधार | – | 244 |
| v) केंद्र सरकार से उधार | -12 | -16 |
| vi) विदशी मुद्रा ऋण | 219 | -10 |
| vii) वाणिज्य बैंकों से उधार | – | -2,000 |
| 6. अन्य देयताएं | 4,374 | 2,901 |
| **कुल** | **17,486** | **19,470** |

- : शून्य / नगण्य
**स्रोत :** नाबार्ड

एसटीसीबी को दिया गया अल्पावधि ऋण 80 प्रतिशत था (सारणी V.40)। अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, नाबार्ड एसटीसीबी और आरआरबी को मध्यावधि ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है,जिसमें चलनिधि समर्थन योजना के अंतर्गत ऋण भी सम्मिलित हैं। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों में सबसे कम प्रतिशत राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों का है। 2008-09 के दौरान नाबार्ड ने राज्य सरकारों को कोई ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की।

5.76 मीयादी/निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त हेतु नाबार्ड की ब्याज दर संरचना को इस प्रकार बनाया गया है जिससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम,अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह और पहाड़ी राज्यों, तथा आरआरबी, एसटीसीबी, यूसीबी, एससीएआरडीबी और उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम (एनईडीएफआइ) में कार्यरत वाणिज्यक बैंकों को सस्ती दर पर पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अन्यत्र कार्यरत वाणिज्य बैंकों के लिए ब्याज की दर उच्चतर रखी गई है।

5.77 2008-09 के दौरान ब्याज दर की प्रवृत्ति दर्शाती है कि मुद्रा बाजार की स्थितियों और नाबार्ड के लिए उधार राशियों

**सारणी IV.40: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 2007-08 | | | | 2008-09 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीमा | आहरण | चुकौती | बकाया | सीमा | आहरण | चुकौती | बकाया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)** | 15,415 | 14,108 | 9,751 | 15,784 | 20,133 | 17,778 | 17,858 | 15,704 |
| क. अल्पावधि | 15,199 | 14,003 | 8,889 | 14,496 | 20,053 | 17,778 | 16,636 | 15,638 |
| ख. दीर्घावधि | 216 | 105 | 862 | 1,288 | 80 | – | 1,222 | 66 |
| **2. राज्य सरकारें** | | | | | | | | |
| क. दीर्घावधि | 21 | 18 | 63 | 290 | – | 18 ** | 56 | 252 |
| **3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)** | 3,252 | 2,924 | 2,418 | 3,655 | 4,829 | 4,061 | 3,914 | 3,803 |
| क. अल्पावधि | 3,092 | 2,763 | 2,400 | 2,885 | 4,829 | 4,061 | 3,291 | 3,656 |
| ख. दीर्घावधि | 161 | 161 | 18 | 770 | – | – | 623 | 147 |
| **कुल जोड़ (1+2+3)** | **18,689** | **17,049** | **12,232** | **19,730** | **24,962** | **21,858** | **21,828** | **19,759** |

** : पिछले वर्ष के दौरान मंजूर सीमा के तहत आहरण।
**टिप्पणी** : 1. अल्पावधि में मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) और कृषि कार्यों से इतर अन्य कार्य (ओएसएओ) शामिल हैं। 2008-09 के लिए अल्पावधि में खरीफ और रबी के लिए चलनिधि सहायता योजना भी शामिल है।
2. राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों के लिए ऋण की अवधि अप्रैल से मार्च है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जुलाई से जून है।
3. मध्यावधि में एमटी कनर्वशन और एमटी (एनएस) और एमटी चलनिधि सहयता योजना शामिल है।
**स्रोत** : नाबार्ड।

की लागत के आधार पर दरों को छह बार संशोधित किया गया है (परिशिष्टि सारणी V.8)। अगस्त 2008 तक नाबार्ड द्वारा दरों में वृद्धि की जाती रही। वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप और मुद्रा बाजार में चलनिधि को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के बाद, नाबार्ड द्वारा सभी वर्गों के लिए दरों में कटौती की गई।

## ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि(आरआइडीएफ)

5.78 सरकार द्वारा 1995-96 में 2,000 करोड़ रुपए के आरंभिक कॉरपस से ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआइडीएफ)की स्थापना नाबार्ड में की गई। इस कॉरपस में वाणिज्य बैंकों द्वारा उस सीमा तक जमा राशियां जमा की गईं, जिस सीमा तक वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने में नाकाम रहे थे। इस निधि की स्थपाना का उदेश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्त उपलब्ध कराना है। 1999-2000 में आरआइडीएफ के दायरे को विस्तृत करते हुए अन्य के साथ-साथ उसके अंतर्गत *पंचायती राज्य* संस्थाओं और स्व सहायता समूहों (एसएचजी)को भी ऋण का उपभोग करने की पात्रता हो गई।

5.79 1995-96 से, सरकार ने इस निधि के लिए प्रत्येक केंद्रीय बजट में एक वार्षिक आबंटन की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2008-09 में निधि के लिए XIV ट्रांश की घोषणा की गयी जिसमें कुल आबंटन को बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया (सारणी V.41)। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2009-10 के अंतरिम बजट (फरवरी 2009) में घोषणा की कि आरआइडीएफ XV, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ रुपए होगी और *भारत निर्माण कार्यक्रम* के ग्रामीण रोड घटक के लिए आरआइडीएफ XV के अंतर्गत एक अलग विंडो जिसकी राशि 4,000 करोड़ रुपए होगी, नाबार्ड के साथ स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, 2009-10 के केंद्रीय बजट (जुलाई 2009) में यह घोषणा की

**सारणी IV.41: आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण**
(मार्च 2009 के अंत में )

| आरआइडीएफ | वर्ष | परियोजनाओं की संख्या | समूह राशि (करोड़ रुपए में) | मंजूर ऋण (करोड़ रुपए) | संवितरित ऋण (करोड़ रुपए) | स्वीकृत ऋण की तुलना में संवितरित ऋण का अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 1995 | 4,168 | 2,000 | 1,906 | 1,761 | 92.4 |
| II | 1996 | 8,193 | 2,500 | 2,636 | 2,398 | 91.0 |
| III | 1997 | 14,345 | 2,500 | 2,733 | 2,454 | 89.8 |
| IV | 1998 | 6,171 | 3,000 | 2,903 | 2,482 | 85.5 |
| V | 1999 | 12,106 | 3,500 | 3,434 | 3,055 | 89.0 |
| VI | 2000 | 43,168 | 4,500 | 4,489 | 4,071 | 90.7 |
| VII | 2001 | 24,598 | 5,000 | 4,582 | 4,053 | 88.5 |
| VIII | 2002 | 20,887 | 5,500 | 5,950 | 5,142 | 86.4 |
| IX | 2003 | 19,548 | 5,500 | 5,639 | 4,870 | 86.4 |
| X | 2004 | 17,190 | 8,000 | 7,717 | 6,198 | 80.3 |
| XI | 2005 | 29,875 | 8,000 | 8,301 | 5,728 | 69.0 |
| XII | 2006 | 42,279 | 10,000 | 10,601 | 5,771 | 54.4 |
| XIII | 2007 | 36,948 | 12,000 | 12,749 | 5,057 | 39.7 |
| XIV | 2008 | 85,527 | 14,000 | 14,719 | 3,013 | 20.5 |
| **कुल** | | **3,65,003** | **86,000** | **88,359** | **56,052** | **63.4** |
| भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए अलग विंडो | | | | | | |
| XII | 2006 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
| XIII | 2007 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
| XIV | 2008 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
| **कुल** | | | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **100.0** |
| **कुल जोड़** | | **3,65,003** | **98,000** | **1,00,359** | **68,052** | **67.8** |

**स्रोत :** नाबार्ड।

गई कि व्यष्टि और लघु उद्यमों (एमएसई) को उधार देने के लिए बैंकों और राज्य वित्त निगमों को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक अलग निधि स्थापित की जाएगी। साथ ही, 2009-10 के केंद्रीय बजट (जुलाई 2009) में यह भी घोषणा की गई कि ग्रामीण आवास क्षेत्र में पुनर्वित्त क्रियाओं को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ एक ग्रामीण आवास निधि बनायी जाएगी। उपर्युक्त निधियां वर्ष 2009-10 के दौरान नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी के साथ बनायी गयी हैं।

5.80 निधि के अस्तित्व में आने के बाद से आरआइडीएफ द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। तथापि, इस अवधि में प्रत्येक ट्रांश के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों के प्रतिशत के रूप में संवितरित ऋणों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी है। मार्च 2009 के अंत तक आरआइडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत कुल राशि में से 63.4 प्रतिशत का संवितरण किया गया (सारणी V.41)। इसके अतिरिक्त आरआइडीएफ ऋणों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च 2009 के अंत तक कुल स्वीकृत राशियों और संवितरणों में से 70 प्रतिशत से अधिक सम्मिलित रूप में उत्तरी,दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों को दिया गया है (परिशिष्ट सारणी V.9)।

## किसान क्रेडिट कार्ड योजना

5.81 किसानों को समय पर और कम लागत पर आसानी से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों,आरआरबी और सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) लागू की गई। कृषि की मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त केसीसी उनकी खपत ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। नाबार्ड इस बात के लिए प्रयासरत है कि *अन्य बातों के साथ-साथ* जबानी खेतपट्टाधारियों, काश्तकारों और बंटाईदारों सहित सभी किसानों को इसके दायरे में लाया जाए।

5.82 योजना की शुरूआत से लेकर मार्च 2009 के अंत तक जारी किए गए कुल केसीसी की संख्या (84.6 मिलियन)में से सर्वाधिक प्रतिशत वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा, योजना के प्रारंभ से वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी

**सारणी V.42: जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या**
(मार्च 2009 के अंत में)

(संख्या मिलियन में)

| वर्ष | सहकारी बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | वाणिज्य बैंक | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |
| 1998-99 | 0.16 | 0.01 | 0.62 | **0.78** |
| 1999-00 | 3.59 | 0.17 | 1.37 | **5.13** |
| 2000-01 | 5.61 | 0.65 | 2.39 | **8.65** |
| 2001-02 | 5.44 | 0.83 | 3.07 | **9.34** |
| 2002-03 | 4.58 | 0.96 | 2.70 | **8.24** |
| 2003-04 | 4.88 | 1.27 | 3.09 | **9.25** |
| 2004-05 | 3.56 | 1.73 | 4.40 | **9.68** |
| 2005-06 | 2.60 | 1.25 | 4.16 | **8.01** |
| 2006-07 | 2.30 | 1.41 | 4.81 | **8.51** |
| 2007-08 | 2.09 | 1.77 | 4.60 | **8.46** |
| 2008-09 | 1.34 | 1.41 | 5.83 | **8.58** |
| **कुल** | **36.2** | **11.5** | **37.0** | **84.6** |
| **कुल में प्रतिशत अंश** | **42.7** | **13.5** | **43.8** | **100.0** |

**स्रोत:** नाबार्ड।

किए जा रहे कार्डों की संख्या में कमोबेश रूप से निरंतर वृद्धि बनी रही है। इसके विपरीत, सहकारी बैंकों द्वारा जारी कार्डों की संख्या 2000-2001 में सर्वाधिक होने के बाद निरंतर घट रही है। परिणामस्वरूप, जारी केसीसी की कुल संख्या में 2000-01 और 2008-09 के बीच सहकारी बैंकों का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से तेजी से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है (सारणी V.42)।

5.83 अब तक जारी किए गए कार्डों की संख्या में समग्र वृद्धि चाहे जितनी हुई हो, विभिन्न राज्यों में योजना को लागू करने में काफी अंतर पाया गया है। मार्च 2009 के अंत में केसीसी के अंतर्गत जारी किए गए कुल कार्डों की संख्या का 45 प्रतिशत से अधिक और ऋण स्वीकृत राशि में 36 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, आंध्र-प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य का था। दूसरी तरफ, पहाड़ी राज्य, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य और सिक्किम केसीसी के प्रसार में सापेक्षिक रूप से पीछे रहे (परिशिष्ट सारणी V.10)।

## ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का पुनरुज्जीवन

*अल्पकालिक संरचना का पुनरुज्जीवन*

5.84 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष:प्रो.ए.वैद्यनाथन) की संस्तुतियों के

परिणामस्वरूप भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया। पुनरुज्जीवन पैकेज का लक्ष्य अल्पकालिक संरचना का पुनरुज्जीवन करना है ताकि यह ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं, विशेष रूप से कमज़ोर तबकों, को पूरा करने में और प्रबंधित तथा सशक्त माध्यम बन सके। पैकेज का कुल अनुमानित परिव्यय 13,596 करोड़ रुपए है। पैकेज को निम्नलिखित कार्य करने हैं:

(क) प्रणाली को एक स्वस्थ स्वीकार्य स्तर तक लेकर आने के लिए वित्तीय सहायता देना।

(ख) योजना की प्रजातांत्रिक,स्वावलंबी और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए विधिक और संस्थागत सुधार लागू करना।

(ग) प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय करना।

5.85 सहभागिता करने के इच्छुक राज्यों के लिए अपेक्षित है कि वे केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन करें। मई 2009 के अंत में 25 राज्यों ने (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के 96 प्रतिशत से अधिक को कवर कर लिया गया। दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने मई 2009 के अंत में अपनी सहकारी सोसायटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए। इन दस राज्यों में पीएसीएस को दिए गए पैकेज के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के हिस्से के रूप में मई 2009 के अंत तक 6,073 करोड़ रुपए की सकल राशि जारी की गयी।

*दीर्घकालिक संरचना का पुनरुज्जीवन*

5.86 कार्यदल द्वारा दी गयी संस्तुतियों के अनुसरण में यूनियन बजट 2008-09 में घोषणा की गयी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए पैकेज की विषय वस्तु पर सहमत हो गयी हैं। पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपए अनुमानित थी जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 2,642 करोड़ रुपए होगा।

5.87 भारत सरकार ने दीर्घकालिक सरकारी ऋण ढांचे के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में इस ढांचे के लिए एक अलग पैकेज की व्यवहार्यता और प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष: जी.सी. चतुर्वेदी, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) गठित करने का फैसला किया।यदि ढांचे के लिए एक अलग पैकेज नही लाया जाना है, तो कार्यदल से वर्तमान दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक रणनीति बनाने पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। कार्यदल से ये भी कहा गया है कि वह दीर्घकालिक ढांचे पर कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करें। कार्यदल को 15 जनवरी 2010 तक अपनी रिपोर्ट सौपनी होगी।

### नाबार्ड द्वारा हाल की पहलें

5.88 ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की क्षमता मजबूत करने के लिए नाबार्ड द्वारा 2008-09 के दौरान कई प्रकार की विकासात्मक पहलें की गयीं (बॉक्स V.5)।

## 6. निष्कर्ष

5.89 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक की हाल की नीतिगत पहलों की पृष्ठभूमि में पूर्व के वर्षों के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसाकि अध्याय III में उल्लेख किया गया है, 2008-09 और 2007-08 के दौरान क्रमशः शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण दिया गया है। एमओयू और टीएएफसीयूबी के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत यूसीबी क्षेत्र में समेकन की दिशा में और भी प्रगति हुई। समेकन के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान कमजोर/बीमार बैंकों की संख्या में कमी आने के साथ-साथ वित्तीय रूप से मजबूत

## बॉक्स V.5: नाबार्ड द्वारा प्रमुख विकासात्मक पहलें - 2008-09

नाबार्ड द्वारा विकासात्मक पहलों को मोटे तौर पर कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्र पहलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

**कृषि क्षेत्र पहल**

- *कृषक तकनीक अंतरण निधि(एफटीटीएफ):* यह निधि दिनांक 1 अप्रैल 2008 से 25 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ शुरू की गई जिसका उद्देश्य था कि कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दिया जा सके। 2008-09 के दौरान तेल उत्पादन, हल्दी प्रसंस्करण, सूचना और पण्य व्यापार केन्द्र जैसी गतिविधियों के लिए 6 राज्यों में 233 लाख रु. की अनुदान सहायता वाले 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
- *वाटरशेड विकास निधि(डब्ल्यूडीएफ):* वर्ष के दौरान इस निधि के अन्तर्गत 38 नई वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिससे अब तक परियोजनाओं की कुल संख्या 454 हो गई है। साथ ही, वर्ष के दौरान इस निधि में 561 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।
- *पिछड़े ब्लॉकों के समेकित विकास के लिए प्रारम्भिक परियोजना (पीपीआइडी) :* वर्ष 2003 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य इन ब्लॉकों में ऋण और विकास कार्यक्रमों के विलय के माध्यम से समेकित विकास करना था। मार्च 2009 के अन्त तक, पीपीआइडी का कार्यान्वयन 6 राज्यों में 40 ब्लॉकों में किया जा रहा था।
- *जनजाति विकास निधि (टीडीएफ) :* इस निधि का सृजन 2004 में जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु किया गया था। इसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, भूमिहीनों द्वारा छोटे उद्यम, सामुदायिक स्वास्थ्य तथा लोगों के संगठन के निर्माण को भी विकसित करना शामिल किया गया। मार्च 2009 के अंत तक 14 राज्यों में 61,924 जनजाति परिवारों को शामिल करते हुए 74 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई।
- *कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि :* वर्ष के दौरान निधि के अन्तर्गत 6 राज्यों में 1.81 करोड़ रुपए की सहायता देते हुए 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। वित्तपोषित परियोजनाओं में वस्तु विनिमय, अमरूद की खेती तथा संरक्षित सब्जियों की खेती शामिल थी।
- *कृषक क्लब (एफसी) :* वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 9,989 कृषक क्लब शुरू किए जिससे 581 जिलों में 87,724 गाँवों को शामिल करते हुए क्लबों की कुल संख्या 38,215 हो गई। नाबार्ड ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कृषक क्लबों को समर्थन देने हेतु अपनी नीति की समीक्षा की तथा सभी वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा आधार भूत संगठनों को तीन वर्ष के लिए 10,000 रुपए का एक समान समर्थन देने का निर्णय लिया।

**कृषेतर क्षेत्र में पहल**

- *ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआइएफ):* इस निधि का सृजन 2005 में रोजगार अवसरों के निर्माण के लिए कृषि, कृषेतर तथा लघु वित्त क्षेत्र में नवोन्मेषी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा 65 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
- *समूह विकास कार्यक्रम :* ग्रामीण औद्योगीकरण को समूह दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड ने 3-5 वर्ष की अवधि में 55 समूहों का विकास करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2008-09 के दौरान 37 सहभागिता, 1 गहन और 1 पर्यावरण-पर्यटन समूह स्वीकृत किए गए। साथ ही, सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से जोर दिए जाने के मद्देनज़र नाबार्ड ने हथकरघा समूहों का विकास आरंभ किया है।
- *ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरईडीपी) तथा कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) :* नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कार्यक्रम आरंभ किए हैं। 2008-09 के दौरान 50,264 ग्रामीण युवाओं को शामिल करते हुए 1,304 लाख रुपए का अनुदान समर्थन दिया गया।। साथ ही, पूंजी व्यय के लिए ग्रामीण विकास और स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआइ) को 88 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
- *स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) :* वर्ष 2008-09 के दौरान नाबार्ड ने 628 करोड़ रुपए की ऋण सीमा वाले 1.50 लाख स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी किए।
- *जेंडर विकास कार्यक्रम :* नाबार्ड महिला विकास कार्यक्रमों का समर्थन ग्रामीण महिलाओं के कृषेतर उत्पादों के विपणन (महिमा) तथा कृषेतर विकास में ग्रामीण महिलाओं को सहायता (एआरडब्ल्यूआइएनडी) कार्यक्रम जैसी अपनी योजनाओं के माध्यम करता रहा है। 1 वर्ष के दौरान महिमा और एआरडब्ल्यूआइएनडी के अन्तर्गत क्रमशः 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई। साथ ही, नाबार्ड ने महिला विकास कक्षों (डब्ल्यू डी सी) की स्थापना की तथा मार्च 2009 के अन्त तक 102 महिला विकास कक्ष, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 43 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा 3 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्वीकृत किए गए।

बैंकों की संख्या में सहवर्ती वृद्धि हुई। तथापि, यूसीबी क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का कुछ बड़े बैंकों में सकेंद्रण हो रहा है। यह इस बात से प्रमाणित है कि हाल में कुछ बैंकों के ऋणों और जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रूप से यूसीबी का जमावड़ा, पश्चिम क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं, में अधिक रहा है। वर्ष के दौरान सामान्य रूप से यूसीबी तथा खास तौर से अनुसूचित यूसीबी के कारोबार में निरंतर विस्तार हुआ है जो ऋणों और अग्रिमों तथा जमाओं में हुई उच्च वृद्धि से स्पष्ट है जिसके कारण इन संस्थाओं में आम जनता का विश्वास बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान यूसीबी क्षेत्र की निवल लाभप्रदता समग्र रूप से कम गति से बढ़ी लेकिन, गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाभों में काफी अधिक वृद्धि हुई। यूसीबी क्षेत्र के लिए समग्र रूप से पूंजी पर्याप्तता के स्तर में वृद्धि हुई है। परंतु क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे पॉकेट भी हैं जिनमें ऐसे बैंक

शामिल हैं, जिनकी पूंजी पर्याप्तता काफी कम है। यूसीबी लघु उद्यमों जैसे क्षेत्रों को अपनी ऋण सुपुर्दगी के माध्यम से वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्ष के दौरान वैश्विक गतिविधियों के फलस्वरूप लघु उद्यमों को ऋण में गिरावट की प्रत्याशा के विपरीत, यूसीबी के द्वारा लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों में उच्च वृद्धि दिखी।

5.90 यूसीबी के मुकाबले, सभी ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, केवल राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर, ने वर्ष के दौरान समग्र रूप से हानियां सूचित कीं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के न्यूनतम टियर अर्थात पीएसीएस में उनके सदस्यों और उधारकर्ताओं में छोटे किसानों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि दर्ज हुई है। लेकिन, इन संस्थाओं के अजा/अजजा और उधारकर्ताओं की संख्या में कमी आई है।

5.91 इसके अलावा, अनर्जक आस्तियों का उच्च स्तर शहरी और ग्रामीण सहकारी क्षेत्र दोनों को नुकसान पहुंचाता है। हाल के वर्षों में यूसीबी के लिए अनर्जक आस्तियों का अनुपात कम रहने के बावजूद 2009 में यह अनुपात 13.3 प्रतिशत की ऊंचाई पर बना रहा।

5.92 सहकारी क्षेत्र और ग्रामीण विकास में नाबार्ड द्वारा की गयी पहलों के अंतर्गत, हाल के वर्षों में आरआइडीएफ (भारत निर्माण कार्यक्रम में) के तहत जमा और स्वीकृत ऋण की राशियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, आरआइडीएफ के अंतर्गत संवितरित ऋणों के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। केसीसी की कुल संख्या तीव्र वृद्धि से बढ़ी जो किसानों के बीच कृषि वित्त के रूप में इसकी ख्याती को दर्शाती है। तथापि, यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य बैंकों में हुई है जबकि सहकारी बैंकों द्वारा जारी केसीसी की संख्या में कमी हो रही है।

5.93 निष्कर्ष रूप में, कुल मिलाकर वित्तीय समावेशन को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को मजबूती देने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सहकारी ऋण प्रणाली को और सक्षम तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।